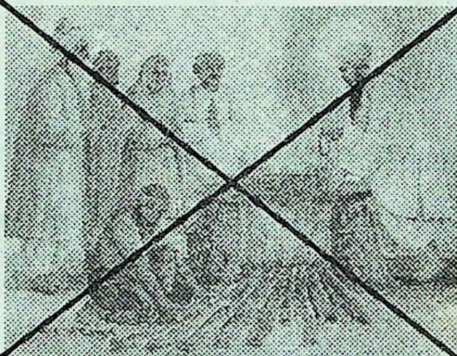



१ओंकार सतिगुर प्रसादि ।।

श्री गुरू अरजन देव जी की शहीदी की न्यायिक जाँच

एवं

तुज़ाकि जहांगीरी रोजनामचे की इबारत का विश्लेषण



नोट – 1. गुरूदेव जी की शहीदी से सम्बन्धित सभी प्रकार की तस्वीरें कोरी काल्पनिक हैं, उनमें लेशमात्र भी सत्य नहीं है, वह एकदम झूठी तथा गलत चित्रित की गई है, जिनका कोई अस्तित्व नहीं क्योंकि इतिहास इन तस्वीरों की पुष्टि नहीं करता ।
तो लीजिए ऐतिहासिक घटनाक्रम को विस्तारपूर्वक तथ्यों सहित पढ़िये । जिससे दूध का दूध और पानी का पानी स्पष्ट दृष्टमान हो जायेगा। गुरवाणी का इस संदर्भ में फरमान है –

"कूड़ निखुटे नानका, ओड़कि सचि रही"

2. घटनाक्रम को पढ़ने से पहले षड्यन्त्र की परिभाषा, शहीदी की परिभाषा तथा शहीदी के कारणों को आगामी पृष्ठ पर अवश्य ही पढ़े । तभी आपको शहीदी के वास्तविक तथ्यों को समझने में सहायता मिलेगी ।

3. समस्त वृतान्त अध्ययन करने के उपरान्त, आपने स्वयँ निर्णय करना है कि वास्तव में श्री गुरू अर्जुन देव जी की शहीदी का उत्तरदायित्व किस पर है, अर्थात गुरूदेव का हत्यारा कौन ?

प्रकाशक : **SINGH AUTO INDUSTRIES**

BAY SHOP No. 36, SECTOR 15-D, CHD.Ph. : 0172-2773884, 5077884

लेखक : जसबीर सिंघ – दूरभाष : 0172 – 2696891, 9988160484

विषय- १०७२

विषय सूची

षड्यन्त्र की परिभाषा

विपक्ष को हानि पहुँचाने का एक योजनाबद्ध कार्यक्रम, जिस का रहस्य कोई न जान सके, बल्कि पीड़ित पक्ष किसी अन्य को अपराधी मानने लग जाये। दूसरे शब्दों में निर्दोष को झूठे आरोपों द्वारा अपराधी घोषित कर देना। जिस से पीड़ित पक्ष गुमराह जाए और वास्तविक अपराधी को न पकड़ कर, शक के आधार पर अथवा भूल से अन्य लोगों को दोषी मानने लग जाता है।

शहीद की परिभाषा

जो मनुष्य लगातार चुनौती देने पर भी अपने आदर्श पर दृढ़ता से डटा हुआ अपने प्राणों की आहुति दे दे अथवा बलिदान हो जाए किन्तु अपनी धारणा में परिवर्तन न लाए, ऐसे बलिदानी पुरुष को शहीद कहते हैं। दूसरे शब्दों में जिस मनुष्य को अपने प्राण सुरक्षित करने के लिए शत्रुओं द्वारा कम से कम एक अवसर प्रदान किया जाए फिर भी वह अपने आदर्शवादी मार्ग को त्याग देने के लिए तैयार न हो, वह शहीद कहलाता है। रणक्षेत्र में युद्धरत सैनिकों पर भी यही सिद्धांत लागू होता है। उन को भी विरोधी पक्ष के सैनिक शस्त्र-अस्त्र डाल देने के लिए विवश करते हैं अथवा भागने का पूरा अवसर प्रदान करते हैं। किन्तु देश भक्त सैनिक ऐसा न कर, देश के काम आने को ही अपना लक्ष्य मानते हैं। अर्थात् विजय अथवा मृत्यु में से किसी एक की प्राप्ति की कामना ही उनको शहीद का दर्जा देती है।

शहीदी के कारण

1. गुरू की गोलक (दशमांश) का अपने हित के लिए प्रयोग न करना।
2. गुरू ग्रंथ साहब की रचनाओं में परिवर्तन करने के लिए इन्कार।
3. इस्लाम स्वीकार करने के लिए इन्कार।

भूमिका

सिक्ख जगत में आज तक तथाकथित विद्वानों (रागी, ढाडी, कवियों तथा प्रचारको) द्वारा श्री गुरू अर्जुनदेव जी की शहीदी के विषय में जो घटनाक्रम के तथ्य प्रस्तुत किये जाते रहे हैं, यदि इनकी सच्चाई जानने के लिए न्यायिक जाँच करवाई जाए तो कहीं भी प्रामाणिकता के दर्शन नहीं होते बल्कि प्रत्येक कथन में कई प्रकार की त्रुटियाँ दृष्टिगोचर होती है । सत्य तो यह है कि कोई प्रसंग भी परिपक्वता की कसौटी पर खरा नहीं होता, इसलिए विवेक बुद्धि के श्रोता दुविधा में पड़ जाते हैं और उनकी श्रद्धा को ठेस लगती है क्योंकि प्रत्येक वक्ता अवैज्ञानिक बातों से जनसाधारण को भावुक बना रहा होता है । बात यहीं समाप्त नहीं होती, यह सर्वविदित है कि गुरूदेव जी कथनी करनी के शूरवीर थे परन्तु उनके सिद्धांतों और जीवन में अन्तर डाल दिया जा रहा होता है जिसे पैनी दृष्टिवान सच्चे सेवक सहन नहीं कर सकते । यदि वक्ताओं द्वारा की गई त्रुटियों की सूची तैयार की जाये तो एक लम्बी तालिका बनती है जिनको आधार बनाकर इन तथाकथित विद्वानों को कटघरे में खड़ा कर उत्तर माँगा जा सकता है । उदाहरण के लिए जब साईं मीयां मीर जी गुरूदेव जी से मिलने लाहौर के शाही किले में आये, यहां उन्हें दीवान चंदू लाल की हवेली से लाकर सरकारी संरक्षण में रखा गया था तथा उन पर इस्लाम न स्वीकार करने पर अमानवीय व्यवहार किया जा रहा था । ऐसे में सांई जी का गुरूदेव पर प्रश्न था, आप निर्दोष हैं, फिर क्यों अत्याचार सहन कर रहे हैं जबकि आप आत्मबल के स्वामी हैं। आपका एक शब्द ही इन अत्याचारियों का अनिष्ट कर सकता है । उत्तर में गुरूदेव जी ने कहा – मेरा कोई शत्रु अथवा मित्र नहीं, यह जो कुछ हो रहा है इसमें प्रभु का हुक्म ही है । मैं 'राज़ी विच रज़ा' के रहनेवाला व्यक्ति हूँ अत: मुझे किसी पर भी कोई आपत्ति नहीं । इस पर सांई जी ने पुन: पूछा आप क्यों बिना बात के कष्ट झेल रहे हैं । यदि आप कुछ नहीं करते तो मुझे आज्ञा दे मैं कुछ करूं । तब गुरूदेव जी ने कहा – आपने एक दिन मुझ से ब्रह्मज्ञानी के लक्ष्णों पर आचरण करने वाले व्यक्ति के दर्शनों की अभिलाषा व्यक्त की थी । आज वह दिन आ गया है, मैं ब्रह्मज्ञानी के लक्ष्णों पर व्यावहारिक जीवन जीने का प्रयास कर रहा हूँ । फ़कीरों की रमज़ (रहस्य) फ़कीरों ने समझी । इस प्रकार सांई जी ब्रह्मज्ञान का आदेश लेकर लौट गये ।

गुरूदेव कथनी–करनी के शूरवीर थे । उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए आत्मबल का प्रयोग किया ही नहीं और न ही किसी दूसरे को इस विषय में अनुमति प्रदान की । उन का मानना था कि प्रभु हुक्म में प्रसन्नचित्त रहना ही उनका लक्ष्य है । यदि उन्होंने आत्म बल का प्रयोग किया होता तो उनका बाल भी बांका कोई नहीं कर सकता था । जब उन्होंने आत्मबल का प्रयोग किया ही नहीं तो फिर क्या अग्नि ने अपना सिद्धान्त बदल लिया था जो तपी हुई लोह उनको जला न सकी । भड़भूजे की 200 डिग्री सैल्सियस वाली रेत को सिर में डालने पर भी जीवित रहे ? यही बस नहीं, उबलते हुए पानी की देग में बैठाने पर भी जीवित रहे ? कुछ अति कथनी वाले अंधी श्रद्धा वाले भोले मनुष्य यहाँ तक

कह देते हैं कि उन्होंने इन सभी प्रकार की यातनाएं झेलने के पश्चात्, रावी नदी में स्नान करने की इच्छा व्यक्त की और वहीं रावी नदी में समा गये ।

यह व्याख्या तो इस प्रकार है जैसे कोई कहे कि हे जल्लादो ! मैं तुम्हारे हाथों मरने वाला नहीं तुम लाख कोशिश करके देख लो । पहले शत्रुओं ने उन्हें तवे पर जलाया परन्तु वह नहीं मरे, फिर शत्रुओं ने उनके सिर पर 200 डिग्री सैल्सियस का गर्म रेत डाला, वह तब भी नहीं मरे। इस पर तंग आकर शत्रुओं ने उनको देग में बैठा कर पानी उबाल दिया, वह फिर भी नहीं मरे । अन्त में गुरू जी कहने लगे मैं तुम लोगों द्वारा यातनाएं देने पर मरने वाला नहीं, अच्छा चलो मैं स्वयं ही रावी नदी में डूबकर आत्महत्या कर लेता हूँ ।

इस प्रकार की अनेकों त्रुटियों से गुरूदेव जी के बलिदान (शहीदी) को झुठलाया गया है । जिससे शहीदी, शहीदी ही नहीं दृष्टिगोचर होती, बस एक आत्महत्या काण्ड सा महसूस होने लगता है क्योंकि तथाकथित विद्वानों ने अपने अपने प्रसंगों में न शहीदी की परिभाषा का ध्यान रखा है, न षड्यन्त्र रचने वालों का और न ही शहीदी के कारणों के महत्त्व का जिन ऊँचे आदर्शों के लिए गुरूदेव जी ने अपने प्राणों की आहूति दी थी ।

हमारे तथाकथित विद्वान इतने भोले मानुष हैं कि षड्यन्त्रकारियों को पकड़ कर फिर सहज में ही उन्हें बरी कर देते हैं और उन्हीं के रचे षड्यन्त्र में फँसकर निर्दोष व्यक्तियों को हत्यारा समझ लेते हैं जिन्हें षड्यन्त्रकारी अपने स्थान पर फँसाना चाहते थे । इस प्रकार षड्यन्त्रकारी अपने लक्ष्य में आज तक सफल होते चले आ रहे हैं ।

अब कुछ अन्य त्रुटियों पर ध्यान केन्द्रित करते हैं – यदि शत्रु पक्ष का लक्ष्य गुरूदेव जी की हत्या ही करना होता तो वे उन्हें काज़ी द्वारा दिये गये फतवे अनुसार गाय की खाल में मड़कर मार सकते थे परन्तु उनका मूल लक्ष्य गुरूदेव जी को इस्लाम स्वीकार करवाना था न कि जान से मारना । अब प्रश्न उठता है यदि उनका लक्ष्य गुरूदेव जी को इस्लाम स्वीकार करवाना था तो वे उन्हें जलाएंगे ही क्यों ?

लाहौर की जनता के विरोध प्रदर्शन पर किलेदार ने सांई मीयां मीर जी को गुरूदेव से मिलने की अनुमति क्यों प्रदान करता । यदि वे गुरूदेव जी को तत्ती तवी पर भीषण आग में जलाने का प्रयास कर रहे थे ?

तो लीजिए ऐतिहासिक घटनाक्रम को विस्तारपूर्वक तथ्यों सहित पढ़िये । जिससे दूध का दूध और पानी का पानी स्पष्ट दृष्टमान हो जायेगा।
गुरवाणी का इस संदर्भ में फरमान है –

"कूड़ निखुटे नानका, ओड़कि सचि रही"

आमुख

साहेब श्री गुरू अर्जुन देव जी की शहीदी वृतान्त पर अनेकों लेखकों ने अपने विचार समय समय पर प्रकाशित करवाये हैं परन्तु प्रस्तुत पुस्तक अपने आप में विलक्षण है । इसकी उत्पत्ति के लिए कहा जा सकता है कि सरदार कपूर सिंह जी द्वारा रचित 'सांची सखी' पुस्तक में से गुरूदेव जी की शहीदी के कारणों का फिर से विश्लेषण किया

गया है और सत्य की खोज में जी-जान लगा दी गई है ।

इस पुस्तक को बहुत तर्कसंगत बनाया गया है और गुरूदेव जी की शहीदी के वास्तविक कारणों को खोज कर षड्यन्त्रकारियों को कटघरे में खड़ा किया गया है । दृष्टांतों द्वारा स्पष्ट किया गया है कि पुरातन लेखकों की बातें शहीदी की परिभाषा पर खरी नहीं उतरती क्योंकि गुरूदेव जी की शहीदी गृह क्लेश नहीं था वह तो किसी ऊँचे आदर्श के कारणों, मानव समाज के हितों पर न्योछावर होते हुए अपने प्राणों की आहुति दे गये हैं । एक आदृश्य व्यक्ति जो उस समय बेताज बादशाह की भूमिका निभा रहा था, जो कि गुरूदेव की शहीदी का मुख्य दोषी है, जनता की दृष्टि से अपने को लुप्त करने में सफल हो जाता है क्योंकि प्रत्यक्षदर्शी सांई मीयां मीर जी इस विषय में मौन धारण कर लेते हैं । उनका मानना था कि यदि मैंने अपनी जुबान खोली तो हिन्दू मुस्लिम में फिर से न मिटने वाला मतभेद उत्पन्न हो जायेगा । इस कारण शहीदी के विषय में भ्रान्तियाँ फैल गई ।

मुख्य आरोपी शेख अहमद सरहिन्दी जिसका लक्ष्य समस्त भारत में एक छत्र इस्लाम का प्रसार करना था, जो उस समय नक्ष बन्दी सम्प्रदाय का नेतृत्त्व कर रहा था । उसके मार्ग में गुरू नानक देव के मानव प्रेम के विशेष सिद्धान्त आड़े आ रहे थे जिनका प्रचार श्री गुरू अर्जुन देव जी स्थानीय भाषा में सुखमनी जैसी वाणी रच कर रहे थे क्योंकि इस्लामिक अध्यात्मिक ज्ञान अरबी भाषा में है और उसमें कट्टरवाद प्रमुख होने के कारण वह भारतीयों में सहज स्वीकार्य नहीं हो पा रहा था जबकि सुखमनी नामक वाणी सहज सरल और निरपेक्ष होने के कारण स्थानीय लोगों में लोकप्रिय होती जा रही थी । यहाँ तक कि चिस्ती सम्प्रदाय के प्रमुख सांई मीयां मीर जी भी अपने अनुयायियों को सुखमनी पढ़ने को कहते थे ।

ऐसी दशा में शेख अहमद सरहिन्दी गुरूवाणी और उसके रचयिता श्री गुरू अर्जुनदेव जी को अपने रास्ते का रोड़ा जानकर शत्रु बनकर प्रकट हुआ। इसने ही अपनी फकीरी का प्रभाव डालकर अकबर पर दबाव डाला कि वह सलीम (जहाँगीर) को राज्य सिहांसन दे । बदले में जहाँगीर से इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए प्रशासनिक सहायता देने की गुप्त संधि की । जहाँगीर कानों का कच्चा था सुनी सुनाई बातों पर निर्णय कर देता था । अतः उसने गुरूदेव जी पर झूठे आरोप लगाकर बादशाह पर दबाव बनाकर उसे विवश किया कि वह कम से कम लाख रूपया तो अवश्य ही गुरूदेव पर दंड लगा दे, दंड का भुगतान न होने पर बादशाह का विकल्प में कोई आदेश न था । इसने ही उस आदेश को मृत्युदंड के रूप में क्रियान्वित करवाया। अपनी काली करतूत को छिपाने के लिए बादशाह के व्यक्तिगत (निजी) परामर्शदाता को अपनी पीरी के प्रभाव से प्रभावित करके एक झूठी इबारत 'तुजाकि जहाँगीरी' नामक रोजनामचे में लिखवाई, जिससे भ्रान्तियाँ फैले कि गुरू अर्जुनदेव जी को शहीद करने का आदेश बादशाह ने दिया था और वह इस प्रकार स्वयँ को इस हत्याकांड के सर्गना के रूप से अदृश्य कर सकने में आज तक सफल होता रहा ।

इस पुस्तक की विशेषता यह है कि इसमें श्री गुरू अर्जुन देव जी को इस्लाम स्वीकार करने के लिए विवश करने के लिए यातनाएं देने की विधि को क्रमश: वैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत किया गया है क्योंकि शत्रु पक्ष का लक्ष्य गुरूदेव जी की हत्या करना न था बल्कि उनको इस्लाम स्वीकार करवाना था । यदि हत्या ही करनी होती तो उन्हें काज़ी द्वारा दिये गये फतवे अनुसार गाय की खाल में मड़कर मारा जा सकता था।

कुल मिलाकर लेखक बधाई के पात्र हैं क्योंकि लेखक ने बड़े परिश्रम से दूध का दूध और पानी का पानी करके समस्त सिक्ख जगत् को पुन: शहीदी के तथ्यों को जानने के लिए विवश किया है और शहीदी घटनाक्रम को वैज्ञानिक ढँग से रोचक शैली में लिखा है ।

मनजीत सिंह खालसा (दिल्ली)



शहीदी का वास्तविक घटनाक्रम
श्री गुरू अर्जुन देव षड्यन्त्र के शिकार

मुगल शहनशाह (सम्राट) अकबर अपने अन्तिम दिनों में अपने पोते खुसरों को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था, जब कि उसका अपना पुत्र शहजादा सलीम (जहाँगीर) जो कि बहुत बड़ा शराबी था, वह भी हर परिस्थिति में सिहांसन प्राप्त करना चाहता था। इसलिए उसने अपने एक विश्वासपात्र, विशिष्ट सैनिक अधिकारी शेख फरीद बुखारी की सहायता से बगावत कर दी। परन्तु इस बगावत में उस को पराजित होना पड़ा। अत: उस के लिए शस्त्र फेंक कर अपने पिता के समक्ष आत्मसर्म्पण करने के सिवाय कोई दूसरा रास्ता न बचा। उसकी इस भयंकर भूल के कारण उसको कारावास में रहना पड़ा। जहाँगीर की माता ने उसके उद्धारवादी पिता के समक्ष खून के रिश्ते की दुहाई दे कर उसकी इस भयंकर भूल पर भी क्षमा दिलवा दीं। अब जहाँगीर ने राजदरबारियों, अधिकारियों तथा मौलवी, काजी इत्यादि को अपने पक्ष में प्रेरित करना प्रारम्भ किया, जिस में उसको बहुत सफलता मिली क्योंकि कुछ कट्टरपंथी लोग उदारवादी व्यवस्था के विरूद्ध थे। तब उसके विश्वासपात्र शेख फरीद बुखारी ने उसको पुन: परामर्श देते हुए कहा, केवल सैनिक शक्ति से ही बात नहीं बनेगी जनता में अपना रसूख भी उत्पन्न करना चाहिए। अत: उसने इस कार्य के लिए जहाँगीर की भेंट स्वयं शेख होने के नाते, अपने पीर मुरशाद शेख अहमद सरहिंदी से करवाई। शेख अहमद सरहिंदी को शेख मजहद अलिफ सानी के नाम से भी जाना जाता है। शेख अहमद सरहिंदी पहले से ही राजनैतिक शक्ति प्राप्त किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में था, जिस के सहयोग से इस्लाम के प्रचार एवं प्रसार को तीव्र गति दी जा सके। अत: समय का पूरा पूरा लाभ उठाते हुए शेख अहमद सरहिंदी तथा शेख फरीद बुखारी

जैसे सम्प्रदायिक मुसलमानों ने जहाँगीर से एक गुप्त संधि कर ली, जिस के अन्तर्गत वह फकीरी से प्राप्त प्रजा की सहानुभूति से जहाँगीर को सिहांसन दिलवायेंगे। जिस के बदले में इस्लाम के प्रचार एवं प्रसार के लिए जहांगीर को प्रशासनिक बल प्रयोग करना होगा। उधर जहाँगीर चाहता था कि किसी भी मूल्य पर तख्त को प्राप्त करना चाहिए। अत: इस संधि को दोनों पक्षों ने स्वीकार कर लिया। शेख अहमद सरहिंदी को शेख फरीद बुखारी के अतिरिक्त जहाँगीर भी उसे अपना पीर-मुर्शद मानने लगा। इस प्रकार इन दोनों ने जहाँगीर को तख्त दिलवाने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिया। इन लोगों का विश्वास जहाँगीर पर जब दृढ़ हो गया तो शेख अहमद सरहिंदी ने अपनी पीरी की प्रभुसता से अकबर को प्रभावित किया कि वह अपने बड़े शहजादे (राजकुमार) को अपना उत्तराधिकारी बनाने की घोषणा करे क्योंकि उसका सिहांसन पर अधिकार बनता है। तद्पश्चात समय आने पर खुसरों को स्वयं ही उसका अधिकार मिल जाएगा। इस पर अकबर भी दबाव में आ गया तथा उसने जहाँगीर को राजतिलक दे दिया।

अकबर की मृत्यु के पश्चात् जहाँगीर ने शेख अहमद सरहिंदी को बहुत सम्मान देना शुरू कर दिया और तब से सभी सरकारी कार्यों में उसका परामर्श ही आदेश अथवा कानून होता। इस प्रकार धीरे धीरे जहाँगीर एक कठपुतली सा बनकर रह गया तथा शेख अहमद सरहिंदी बेताज बादशाह बन गया। दूसरे शब्दों में सरकार के नीति संगत सभी फैसले शेखअहमद सरहंदी के ही होते जबकि बादशाह जहाँगीर केवल ऐश्वर्य तथा विलासता के कारण शराब में डूबा रहता। ऐसी दशा में शहजादा (राजकुमार) खुसरों ने तख्त प्राप्ति के लिए अपने ही पिता के विरूद्ध बगावत कर दी। इस बगावत को दमन करने का बीड़ा भी उसके जरनैल शेख फरीद बुखारी ने अपने सिर ले लिया तथा सैनिक बल से खुसरों को खदेड़ दिया और काबुल की ओर भागते हुए खुसरों को चिनाव नदी पार करते समय पकड़ लिया गया और जहाँगीर के लाहौर पहुँचने पर उसको मृत्यु दण्ड दे दिया गया।

शेख अहमद सरहिंदी ने खुसरों के इस वृतान्त से अब अनुचित लाभ उठाने की योजना बनाई। जिस के अनुसार उसने इस्लाम के विकास में बाधक, साहिब श्री गुरू अर्जुन देव जी को युक्ति से समाप्त करवाने का विचारबनाया। गुरूदेव पंचम पातशाह जी को खुसरो बगावत काण्ड में जोड़ कर दोष आरोपण किया कि अर्जुन (गुरू) ने खुसरों की सेना को भोजन (लंगर) इत्यादि से सेवा कर सहायता की तथा उसने अपने ग्रंथ में इस्लाम की तौहीन (निन्दा) लिखी है। इस लिए उसको तलब (पेश करना) किया जाए तथा निरीक्षण के लिए अपना नया ग्रंथ भी साथ लाए। इस आदेश के जारी होने पर गुरूदेव ने आदि (गुरू) ग्रंथ साहब एवं कुछ विशिष्ट सिक्खों की देखरेख (सेवा सम्भाल) के लिए साथ लिया और वे खुद लाहौर पहुँच गये। वहाँ पर उन्हें बागी खुसरों को संरक्षण देने के आरोप में बागी घोषित कर दिया तथा दूसरे आरोप में कहा गया कि वे इस्लाम के विरूद्ध प्रचार करते हैं। इसके उत्तर में गुरूदेव ने बताया कि खुसरो तथा उसके साथियों ने गुरू के लंगर गोइंदवाल (साहब) में भोजन अवश्य किया था किन्तु मैं उन दिनों तरनतारन में था। वैसे भोजन प्राप्त

करने गुरू नानक के दर पर कोई भी व्यक्ति आ सकता है। फकीरों का दर होने के कारण

वहाँ राजा व रंक का भेद नहीं किया जाता। अत: किसी पर भी कोई प्रतिबन्ध लगाने का तो प्रश्न ही नही उठता। आपके पिता सम्राट अकबर अपने समय पर इस दर पर आये थे और भोजन ग्रहण कर स्वयं को सन्तुष्ट अनुभव किया था।

इस उत्तर को सुनकर सम्राट जहाँगीर सन्तुष्ट हो गया किन्तु शेख अहमद सरहिंदी तथा उसके साथियों ने कहा कि उनके ग्रंथ में इस्लाम धर्म (मजहब) का अपमान क्यों किया है। जब कि उस में हज़रत मुहम्मद साहिब की तारीफ की जानी चाहिए। इस पर गुरूदेव जी ने साथ में आए सिक्खों से आदि (गुरू) ग्रंथ साहब का प्रकाश करवा कर हुक्मनामा लेने का आदेश दिया।

तब जो हुक्म प्राप्त हुआ - वह इस प्रकार है

खाक नूर करिदं आलम दुनिआइ।
असमान जिमी दरखत आब पैदाइस खुदाइ (1) अंक 723

यह हुक्मनामा / वाक जहाँगीर को बहुत अच्छा लगा परन्तु शेख अहमद सरहिंदी को अपनी बाजी हारती हुई अनुभव हुई और वह कहने लगा कि इस कलाम को इन लोगों ने निशानी लगा कर रखा हुआ है इसलिए उसी स्थान से पढ़ा है। अत: किसी दूसरे स्थान से पढ़ कर देखा जाए। इस पर जहाँगीर ने अपने हाथों से कुछ पृष्ठ पलट कर दाबारा पढ़ने का आदेश दिया।

इस दफा भी जो हुक्मनामा आया, वह इस तरह है।

अवलि अलह नूर उपाइआ कुदरति के सभ बंदे।
एक नूर ते सभु जग उपजिआ कउन भले कउन मंदे। (अंक 1349)

इस शब्द को श्रवण कर जहाँगीर प्रसन्न हो गया परन्तु दुष्ट जुण्डली ने दोबारा कह दिया कि यह कलाम भी इन लोगों ने कण्ठस्थ किया मालूम पड़ता है। इस लिए कोई ऐसा (आदमी) व्यक्ति को बुलाओ जो गुरमुखी अक्षरों का ज्ञान रखता हो, ताकि उन से इस कलाम के बारे ठीक पता लग सके।

तब एक गैर-सिक्ख व्यक्ति (आदमी) को बुलाया गया जो कि गुरमुखी पढ़ना जानता था। उसको (गुरू)ग्रंथ साहिब में से पाठ पढ़ने का आदेश दिया गया। उस व्यक्ति ने जब (गुरू) ग्रंथ साहिब से पाठ पढ़ना शुरू किया तब निम्नलिखित हुक्मनामा (वाक) आया।

'विसर गई सभ ताति पराई जब ते साध संगति मोहि पाई।

(अंक 1299)

इस हुक्मनामे को सुनकर जहाँगीर पूर्णत: सन्तुष्ट हो गया किन्तु जुण्डली के लोग पराजय मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा ठीक है परन्तु इस ग्रंथ में हजरत मुहम्मत साहिब तथा इस्लाम की तारीफ लिखनी होगी। इस के उत्तर में गुरूदेव जी ने कहा कि इस ग्रंथ में धर्म निरपेक्षता तथा समानता के आधार के इलावा किसी व्यक्ति विशेष की प्रशंसा नहीं लिखी जा सकती तथा ना ही किसी विशेष सम्प्रदाय की स्तुति लिखी जा सकती है। इस

ग्रंथ में केवल निराकार परमात्मा की ही स्तुति की गई है। जहांगीर ने जब यह उत्तर सुना तो वह शान्त हो गया। परन्तु शेख अहमद सरहिंदी तथा शेख फरीद बुखारी जो कि पहले से आग बबूले हुए बैठे थे। उनका कहना था कि यह तो बादशाह की तौहीन है और (गुरू) अर्जुन की बातों से बगावत की बू आती है। इसलिए इसको माफ नहीं करना चाहिए। इस प्रकार चापलूसों के चुंगल में फंसकर बादशाह भी गुरूदेव पर दबाव डालने लगा कि उन को उस (गुरू) ग्रंथ (साहिब) में हजरत मुहम्मद साहब और इस्लाम की तारीफ में जरूर कुछ लिखना चाहिए। गुरूदेव ने इस पर अपनी असमर्थता दर्शाते हुए स्पष्ट इन्कार कर दिया। बस फिर क्या था। दुष्टों को अवसर मिल गया। उन्होंने बादशाह को विवश किया कि (गुरू) अर्जुन बागी हैं जो कि बादशाह की हुक्म अदूली एवं गुस्ताखी कर उसकी छोटी सी बात को भी स्वीकार करने को तैयार नहीं इसलिए उसको मृत्यु दण्ड दिया जाना ही उचित है।

इस तरह बादशाह ने (गुरू जी) पर एक लाख रूपये दण्ड का आदेश दिया और वह स्वयँ वहाँ से प्रस्थान कर सिंध क्षेत्र की ओर चला गया क्योंकि वह जानता था कि चापलूसों ने उससे गलत आदेश दिलवाया है, बादशाह के चले जाने के पश्चात् दुष्टों ने लाहौर के गर्वनर मुर्तजा खान से मांग की कि वह (गुरू) अर्जुन से दण्ड की राशि वसूल करे। गुरूदेव जी ने दण्ड का भुगतान करने से स्पष्ट इन्कार कर दिया क्योंकि जब कोई अपराध किया ही नहीं तो दण्ड क्यों भरा जाए ? लाहौर की संगत में से कुछ धनी सिक्खों ने दण्ड की राशि अदा करनी चाही किन्तु गुरूदेव ने सिक्खों को मना कर दिया और कहा संगत का धन निजी कामों पर प्रयोग करना अपराध है। आत्म सुरक्षा अथवा व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए संगत के धन का दुरुपयोग करना उचित नहीं है।

गुरूदेव जी ने उसी समय साथ में आए हुए सिक्ख सेवकों को आदेश दिया कि वे 'आदि श्री गुरू ग्रंथ साहिब' के स्वरूप की सेवा सम्भाल करते हुए अमृतसर वापस लौट जाएं। गुरूदेव को अनुभव हो गया था कि दुष्ट जुण्डली के लोग, आदि गुरू ग्रंथ साहिब की वाणी में मिलावट करवा कर परमेश्वर की महिमा को समाप्त करने की कोशिश अवश्य करेंगे क्योंकि उनकी इस्लामी प्रचार में लोकप्रिय वाणी बाधक प्रतीत होती थी। वास्तव में वे लोग नहीं चाहते थे कि जन साधारण की भाषामें आध्यात्मिक ज्ञान बांटा जाए क्योकि उनकी तथाकथित पीरी-फकीरी (गुरू डंम) की दुकान की पोल खुल रही थी।

देवनेत ही दुष्ट लोग अपने षड्यन्त्र में सफल नहीं हुए, वैसे अपनी ओर से उन्होंने कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। इसलिए किसी नये कांड से पहले (गुरू) ग्रंथ साहिब के स्वरूप को सुरक्षित स्थान पर पहुँचा देना जरूरी था।

बहुत लम्बे समय से मुर्तजा खान लाहौर का गर्वनर चला आ रहा था। अकबर के शासनकाल में जब लाहौर में अकाल पड़ गया था तथा समय समय चेचक, हैजा, प्लेग, गिलटी, ताप इत्यादि बीमारियों के कारण बहुत सा जानी नुकसान हुआ था। उस समय गुरूदेव जी द्वारा जनता की बिना भेदभाव से की गई निष्काम सेवा भाव की मुर्तजा ख़ान देख चुका था,

इसलिए गुरूदेव का वहां लोकप्रिय होना तथा साईं मीयां मीर जी की गुरुदेव के साथ घनिष्ट मित्रता भी उस से छिपी हुई नहीं थी। गुरूदेव का वह बहुत बड़ा ऋणी शा, क्योंकि सूखा पढ़ने के समय गुरूदेव ने किसानों का लगान सम्राट अकबर से माफ करवा दिया था। जिसके लिए वह भी गुरूदेव का प्रशंसक बन गया था। इसलिए मुर्तजा ख़ान जुण्डली के लोगों से सहमति नहीं रखता था। वह नहीं चाहता था कि उस के हाथों से कोई भयंकर भूल का कार्य हो। अतः वह बहुत बड़ी कठिनाई में था, क्योंकि एक तरफ बादशाह के पीर व मुर्शद का आदेश था, जिसकी स्थिति उस समय किसी बेताज बादशाह से कम न थी और उस से अनबन करने का सीधा अर्थ गवर्नरी को खोना था।

मुर्तजा ख़ान अभी इसी दुविधा में था कि उसकी समस्या दीवान चन्दू लाल ने हल कर दी। चन्दू ने कहा (गुरू) अर्जुन देव को मेरे हवाले कर दो। मुझे उस से अपना पुराना हिसाब चुकता करना है क्योकि उसने कुछ लोगों के कहने में आ कर मेरी लड़की का रिश्ता अपने साहबजादे के लिए अस्वीकार कर दिया है। अब मैं दबाव डाल कर रिश्ते को पुनः स्वीकार कर लेने को उसे विवश कर दूंगा तथा दण्ड की राशि खजाने में यह जानकर जमा करवा दूंगा कि लड़की को दहेज दिया है। मुर्तजा ख़ान इस प्रस्ताव पर तुरन्त सहमत हो गया तथा उसने गुरूदेव को चन्दू लाल के हवाले कर दिया।

उधर चन्दू के मन में विचार चल रहा था कि यह कोई खास कठिन बात नहीं। प्रशासन के भय से (गुरू) अर्जुन उसकी लड़की का रिश्ता स्वीकार कर लेगा तथा उसकी व्यक्तिगत सफलता भी इसी में है कि वह परीक्षा के समय मुर्तजा ख़ान के काम आए। ऐसा करने से उसका अपना भी गौरव बढ़ेगा तथा और अधिक बड़ी पदवी प्राप्त होगी।

इस तरह गुरूदेव जी को वह अपनी हवेली में ले आया तथा कई विधि-विधानों से गुरूदेव को मनाने के प्रयास करने लगा ताकि रिश्तेदारी कायम की जा सके।

इस पर वह अपनी बात कहता हुआ बोला, इस सब में हम दोनों का भला है। आप को प्रशासन के क्रोध से मुक्ति प्राप्त होगी और मेरी बिरादरी में स्वाभिमान रह जाएगा और प्रशासन की ओर से भी प्रशंसा प्राप्त होगी। किन्तु गुरूदेव जी ने उसकी एक नहीं मानी और अपने दृढ़ निश्चय पर अटल रहे। उसके घर का अन्न जल भी स्वीकार न किया। केवल एक ही उत्तर दिया कि उन्हें संगत का आदेश है कि उसकी पुत्री का रिश्ता स्वीकार नहीं करना क्योंकि उसने गुरू नानक देव जी के दर-घर की मोरी (छोटी सी कुटिया) कहा है तथा स्वयं को चौबारा (महल) का मालिक व्यक्त किया है, लेकिन गुरूदेव को मनाने के लिए चन्दू ने बहुत से उल्टे-पुल्टे हथकंडे अपनाए। अन्त मे वह तरह तरह से धमकी देने लगा किन्तु बात तब भी बनती दिखाई न दी। उसने तंग आ कर सख्त गर्मी के दिनों में गुरूदेव जी को भूखे-प्यासे ही अपनी हवेली के एक कमरे में बन्द कर दिया।

तत्पश्चात रात को एकान्त पा कर, चन्दू की पुत्रवधू (बहू) जो कि गुरू घर की सिक्ख (शिष्य) थी, गुरूदेव के लिए शरबत लेकर उपस्थित हुई तथा विनती करने लगी, कि गुरू जी जल ग्रहण करें तथा उसके ससुर को क्षमा दान दें क्योंकि वह नहीं जानता कि वह क्या

अवज्ञा कर रहा है। गुरुदेव ने उसे सांत्वना दी और कहा – पुत्री मैं विवश हूँ, संगत के आदेश के कारण मैं यह जल ग्रहण नहीं कर सकता। प्रातः काल जब सरकारी कर्मचारी (कोतवाल) चंदू के पास हाल जानने के लिए आया तो चंदू ने यह कह कर गुरूदेव जी को उस के हवाले कर दिया कि अर्जुन ने मेरी शर्त नहीं मानी। अतः अब मैं इसको आप के हवाले करने के लिए तैयार हूँ। बस फिर क्या था, सरकारी दुष्टों को निर्धारित षड्यन्त्र के अनुसार कार्य करने का अवसर प्राप्त हो गया। उन्होंने चन्दू को तुरन्त अपने विश्वास में लिया और गुरूदेव को अपनी हिरासत में लेकर लाहौर के शाही किले में ले आये। इस तरह शेख अहमद सरहंदी ने परदे की ओट में रह कर शाही काजी से गुरूदेव के नाम फतवा (आरोप) जारी करवा दिया। फ़तवे में कहा गया कि (गुरू) अर्जुन दण्ड की राशि अदा नहीं कर सका। अतः वह इस्लाम कबूल कर ले अन्यथा मृत्यु के लिए तैयार हो जाए। गुरूदेव जी ने तब उत्तर दिया कि यह शरीर तो नश्वर है। इस का मोह कैसा? मृत्यु का भय कैसा? प्रकृति का नियम अटल है जो पैदा हुआ है उसका विनाश अवश्य होना है। मरना जीना परमेश्वर के हाथ में है, इसलिए इस्लाम स्वीकार करने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। आपने जो मनमानी करनी है उसे कर डालो। इस पर काज़ी ने इस्लामी नियमावली अनुसार 'यासा' के कानून के अन्तर्गत मृत्यु दण्ड का फ़तवा दे दिया तथा कहा – जैसे दूसरे बाग़ियों को चमड़े के खोल में बंद कर मृत्यु के घाट उतारा गया है, ठीक उसी प्रकार इस बागी (गुरू जी) को भी गाय के चमड़े में मढ़ कर खत्म कर दो। इस से पहले कि गाय का ताजा उतरा हुआ चमड़ा प्राप्त होता, शेख अहमद सरहिंदी ने अपने रचे षड्यन्त्र के अनुसार, गुरूदेव को यातनाएं देकर इस्लाम स्वीकार करवा लेने की योजना बनाई। गुरूदेव जी को उसने किले के आँगन में कड़कती धूप में खड़ा करवा दिया गुरूदेव जी रात भर से ही भूखे प्यासे थे, क्योंकि चंदू के यहाँ उन्होंने अन्न जल स्वीकार नहीं किया था। ऐसे में शरीर बहुत दुर्बलता अनुभव करने लगा था किन्तु वह तो आत्मबल के सहारे अडोल खड़े थे। जल्लाद भी गुरू जी पर दबाव डाल रहा था, 'इस्लाम स्वीकार कर लो, क्यों अपना जीवन व्यर्थ में खोते हो।' परन्तु गुरूदेव जी इस सब कुछ से साफ इन्कार कर रहे थे। दुष्टों ने गुरूदेव को तब डराना – धमकाना प्रारम्भ किया तथा क्रोध में आकर उनको एक लोह (रोटी बनाने का एक बहुत बड़ा तवा) पर बिठा दिया जो उस समय जेठ माह की कड़ाके की धूप में आग जैसी गर्म थी। लोह (तवी) पर भी गुरूदेव जी अडोल रहे। जैसे कोई आदमी तवे पर नहीं बल्कि कालीन पर विराजमान हो।

गुरूदेव पर हो रहे इस तरह के अत्याचारों की सूचना जब लाहौर नगर की जनता तक पहुँची तो सांई मीयां मीर जी तथा बहुत सी संगत किले के पास पहुँची तो उन्हों पाया कि किले के चारों ओर सख्त पहरा होने के कारण अन्दर जाना असम्भव है। अनुमति केवल सांई मीयां मीर जी को मिल सकी। यातनाएं झेलते हुए गुरूदेव जी को देख कर सांई जी ने आश्चर्य प्रकट किया। तब गुरूदेव ने कहा, 'कि आपने एक दिन ब्रह्मज्ञानी के अर्थ 'सुखमनी वाणी' के अनुसार पूछे थे। मैं आज उन पंक्तियों के अर्थों के अनुरूप जीने का प्रयास कर रहा

हूँ। सब कुछ उस प्रभु की इच्छाओं अनुसार ही हो रहा है। किसी पर भी कोई गिला शिकवा नहीं। फकीरों की रमज़ (हृदय की बात) फ़कीरी ने समझी। इस तरह सांई मीयां मीर जी ब्रह्मज्ञान का उपदेश ले कर वापस लौट आए।

गुरूदेव जी पर जब कोई असर न हुआ तो जल्लादों ने एक बार फिर गुरूदेव को चुनौती दी तथा कहा अब भी समय है, सोच विचार कर लो, अभी भी जान बख्शी जा सकती है, इस्लाम स्वीकार कर लो और जीवन सुरक्षित कर लो। गुरूदेव जी ने उनके प्रस्ताव को पुन: अस्वीाकर कर दिया तथा जल्लादों ने गुरूदेव जी के सिर में गर्म रेत डालनी आरम्भ कर दी। सिर में गर्म रेत के पड़ने से गुरूदेव के नाक से खून बहने लगा और वे बेसुध हो गए। जल्लादों ने जब देखा कि उनका काम यासा कानून के विरूद्ध हो रहा है तो उन्होंने गुरूदेव जी के सिर में पानी डाल दिया ताकि यासा के अनुसार दण्ड देते समय अपराधी का खून नहीं बहना चाहिए। सिर में पानी डालने से भी जब कोई परिणाम न निकला तो जल्लादों ने परेशान होकर उनको उबली देग में बिठा दिया।

'ज्यों जलु में जलु आये खटाना त्यों ज्योति संग जोत समाना' के महावाक्य के अनुसार गुरूदेव ने जब शरीर छोड़ दिया तो अत्याचारियों ने इस जघन्य हत्याकाण्ड को छिपाने के लिए गुरूदेव जी की पार्थिव देह को रात्रि के अंधकार में रावी नदी के जल में बहा दिया। इस दुर्घटना को छुपाने के लिए कोतवाल ने दीवान चंदू को तुरन्त बुला भेजा और उसको अपने पक्ष में ले लिया। दीवान चंदू से कहा गया क्योंकि अर्जुन को हमने तुम्हारे यहाँ से हिरासत में लिया था, इसलिए अफवाह फैला कर लोगों को गुमराह करें कि गुरूदेव जी ने स्नान करने की इच्छा प्रकट की थी इसलिए वह नदी में बह कर शायद डूब गये अथवा बह गये होंगे। उनका वापस न लौटने का कारण भी यही हो सकता है।

गुरूदेव को इस्लाम स्वीकार करवाने की वास्तविक योजना में शेख अहमद सरहिंदी भले ही विफल रहा किन्तु गुरूदेव जी की शहीदी से वह सन्तुष्ट था, परन्तु इस शहीदी काण्ड के मुख्य जिम्मेवार के रूप में प्रकट हो जाने से बचने के लिए वह प्रयत्न करने लगा। अपने को निर्दोष साबित करने के लिए उसने कुछ उपाय किये, क्योंकि वह सांई मीयां जी के वहाँ पर आ जाने से घबरा गया था तथा वह देख रहा था कि लाहौर के गवर्नर मुर्तज़ा ख़ान और वहाँ की जनता गुरूदेव पर अथाह श्रद्धा भक्ति रखती है। वास्तव में वह जानता था कि उसके दबाव के कारण ही जहाँगीर न गुरूदेव पर दण्ड लगाया था। दण्ड न चुकता करने की परिस्थिति में तो वह शांत था परन्तु जहाँगीर की चुप्पी को मृत्यु दण्ड की परिभाषा देने का असल जिम्मेवार तो वह स्वयँ था। उसने स्वयँ को निर्दोष साबित करने के लिए गुरूदेव के शहीद काण्ड को चन्दू की घरेलू शत्रुता से जोड़ दिया। जबकि बाकी रहती जिम्मेवारी से बचने के लिए, उसने 'तुजाकि जहांगीरी' नामक पुस्तक (जो कि जहाँगीर की स्वजीवनी के रूप में प्रसिद्ध है किन्तु वास्तव में वह एक रोजनामचा ही है) में निम्नलिखित इबारत लिखवा दी – 'गोइंदवाल .... यातनाएं दे कर हत्या कर दी जाए'। उन दिनों बादशाह जहांगीर का तथाकथित पीर–मुर्शद, शेख अहमद सरहिंदी था।

अत: वह अपने आप को बेताज बादशाह समझता था, इसलिए 'तुज़ाकि जहांगीरी' में वह अपनी मनमानी बातें लिखवाने का अधिकार समझता था। इबारत लिखवाते समय उसने सावधानी यह रखी कि स्वयँ को निर्दोष (बरी) साबित कर सके तथा पूरा कीचड़ जहाँगीर पर फैंक सके। जहाँगीर तो वास्तव में इस षड्यन्त्र से अनभिज्ञ था। वह नहीं जानता था कि उससे अनजाने में एक भयंकर भूल करवा कर उसको बदनाम किया जा रहा है।

नोट – मुगलकाल का इतिहास बाबर के समय से ही उनके व्यक्तिगत परामर्शदाता, उनके जीवन, 'वृतान्त' के रूप में लिखते चले आ रहे थे। ये लोग बादशाह के बहुत निकटवर्ती तथा निष्ठावान समझे जाते थे। अकबर नामा भी इसी प्रकार अस्तित्व में आया था क्योंकि अकबर अनपढ़ था। ठीक इसी प्रकार यह प्रथा आगे बढ़ी। 'तुज़ाकि जहाँगीरी' नामक पुस्तक भी जहांगीर के व्यक्तिगत परामर्शदाताओं ने लिखी है क्योंकि जहाँगीर का बहुत अधिक समय शराब और शवाब के चक्कर में व्यर्थ चला जाता था। शेख अहमद सरहिंदी ने अपनी पीरी–फकीरी के बलबूते से लाभ उठाते हुए जहाँगीर के व्यक्तिगत परामर्शदाता को प्रभावित कर उसको अपने विश्वास में ले कर उस से 'तुज़ाकि जहाँगीरी' में अपनी इच्छा अनुसार निम्नलिखित इबारत लिखवा दी।

तुज़ाकि जहाँगीरी नामक रोज़नामचे की इबारत

गोइंदवाल जो, ब्यास नदी के किनारे पर स्थित है, में पीरों बजुर्गों की वेष–भूषा में (गुरू) अरजन नामक एक हिन्दू निवास करता है। सीधे –साधे हिन्दू ही नहीं बल्कि बहुत से मूर्ख तथा अंजान मुसलमानों को भी उसने अपनी जीवन शैली का श्रद्धालु बना कर स्वयं के 'वली' तथा 'पीर' होने का ढोल बहुत ऊँचे स्वर में बजाया हुआ है और वे सभी उसको गुरू कहते थे। सभी स्थानों से समाज विरोधी तत्त्व वहाँ पहुँच कर उस पर पूरा भरोसा तथा श्रद्धा प्रकट करते थे। तीन–चार पीढ़ियों से उन की दुकान गर्म थी। बड़ी देर से मेरे मन में यह विचार उत्पन्न हो रहा था कि झूठ की इस दुकान को बन्द करना चाहिए या उस को मुसलमानी मत में ले आना चाहिए।

इन्हीं दिनों खुसरो ने ब्यास नदी पार कर उस के डेरे पर पड़ाव किया। इस जाहिल तथा हकीर खुसरो का इरादा उससे मिल कर सहायता लेने का था। वह उसको मिला तथा निश्चित बातें (गुरू जी को) सुनाई और केसर से अपने माथे पर टीका लगाया जिस को हिन्दू लोग तिलक कहते है तथा शुभ शगुन मानते है। यह बात जब मेरे कानों में पड़ी तब पहले से ही इन के झूठ को अच्छी तरह जानता था। मैंने आदेश दिया कि उस (गुरू जी) को हाजिर किया जाए तथा मैंने उस के घर–घाट और बच्चे मुर्तजा खाँ के हवाले कर दिये और उस का माल असबाब जबत करने का हुक्म दिया कि उस को सियासत और यासा के कानून अनुसार दण्ड दें।

दीवान चन्दू लाल: बादशाह अकबर के वित्त मंत्रालय में चन्दू लाल नाम का एक अधिकारी था अत: लोग उस को दीवान जी कह कर सम्बोधन करते थे। चन्दू लाल ने दिल्ली तथा

लाहौर नगरों में अपने पक्के निवास के लिए हवेलियाँ बनवाई हुई थी। प्राचीन परम्परा के अनुसार चन्दू ने अपनी लड़की का रिश्ता, गुरू अरजन देव जी के सपुत्र (गुरू) हरगोबिन्द जी से पुराहित द्वारा निश्चित कर दिया था।परन्तु उसने झूठे अभियान में एक प्रीती भोज में आकर गुरु- घर की शान के विपरीत कुछ शब्द हंसी उड़ाने के अंदाज में कहे :- “पुरोहित जी आपने चुबारे की ईट मोरी को लगा दी है,” वहाँ पर विराजमान सिक्ख संगत ने इस बात पर आपत्ति की तथा गम्भीरता- पूर्वक गुरुदेव जी को संदेश भेज दिया कि अभिमानी चन्दू ने गुरु नानक देव जी के दर-घर को तुच्छ बताया है और स्वयं को बहुत ऊँचा बताया है। बस फिर क्या था। सदेश प्राप्त होते ही गुरू अरजन देव जी ने आये रिश्ते को ठुकरा दिया । किन्तु इस परिणाम की चन्दू को आशा नहीं थी। वास्तव में वह इस रिश्ते से संतुष्ट था। रिश्ता टूटने पर उसके स्वाभिमान को गहरी ठेस पहुँची । वह पश्चाताप में था। इसलिए उसने बहुत प्रयत्न किये कि रिश्ता पुन: स्थापित हो जाए किन्तु गुरूदेव जी नहीं माने। पंजाबी समाज में रिश्ते- नाते टूटने भी रहते है इसलिए ऐसी घटनाओं से लोग एक - दूसरों से रुष्ट हो जाते है किन्तु कोई जानी दुश्मन तो नहीं बनता।

गुरुदेव जी की शहीदी के दिन को कच्ची लस्सी की छबील लगाकर खूब मनाते हैं। सभी भक्तजनों को उस प्रभु का हुक्म मानने के लिए कच्ची लस्सी पिलाई जाती है। जिससे उनकी शहीदी पर कोई विघ्न न डाले।

श्री गुरू अर्जुन देव जी की शहीदी के बाद का घटनाक्रम

श्री गुरू अर्जुन देव जी की शहीदी के कुछ वर्षो पश्चात् दीवान चन्दू लाल ने महसूस किया कि उससे अनजाने में भूलें हुई हैं । उनका लाभ उठाते हुए शत्रु पक्ष ने उसे समाज में बुरी तरह बदनाम किया है जबकि गुरूदेव जी की हत्या में उसका कोई सहयोग नहीं । बदनामी के कारण उसका सामाजिक बहिष्कार पूर्ण रूप से हो गया है । अत: अब उसकी बेटी का रिश्ता कोई लेने को तैयार नहीं था, इस पर उसने अपनी पत्नी से विचारविमर्श कर श्री गुरू हरिगोबिन्द साहब को पुन: रिश्ता भेजा और क्षमा याचना में कहा - मैं अपनी भूल का प्रायश्चित करता हूँ । आपके पिता श्री गुरू अर्जुन देव जी की हत्या में उसका कोई हाथ नहीं । उसे दुष्टों ने अफवाह (झूठे प्रोगेंडा) से बदनाम किया है, जबकि वह निर्दोष है । उत्तर में श्री गुरू हरिगोबिन्द साहब जी ने कहलवा भेजा । मेरा विवाह हो चुका है तथा मैं अपने पिता जी के आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकता। अत: हमें अब यह रिश्ता स्वीकार नहीं ।

यह कोरा उत्तर सुनकर चन्दू लाल चिन्तातुर हुआ । उसे श्री गुरू हरिगोबिन्द साहब की बढ़ती हुई शक्ति से भय होने लगा । वह विचारने लगा कि श्री हरिगोबिन्द जी अफवाह के कारण उसे अपराधी मानते हैं। अत: सम्भव है कि वह उस से अपने पिता जी की हत्या का बदला ले । उसे एक युक्ति सूझी । ग्वालियर नगर के किले का किलेदार उसका घनिष्ट मित्र था । उसने सोचा यदि वह श्री हरिगोबिन्द जी को ग्वालियर के किले

में कैद करवाने में सफल हो जाता है तो किलेदार की मित्रता का लाभ उठाते हुए श्री

हरिगोबिन्द जी को वहाँ पर मौत के घाट उतारा जा सकता है। अत: उसने राजकीय ज्योतिष शास्त्री को रिश्वत देकर सम्राट जहाँगीर के मन में भ्रम उत्पन्न कर दिया कि तुम्हारे पर शनि का प्रकोप है । अत: तुम्हारा अनिष्ट होने वाला है । इस पर सम्राट ने इस विपत्तिकाल से छुटकारा पाने के लिए उपाय पूछा तो उत्तर में ज्योतिष शास्त्री ने कह दिया । कोई कुलीन परिवार से पराक्रमी युवा पुरूष आपके स्थान पर किसी एकान्त वास में तपस्या (इबादत) करे तो यह अनहोनी टाली जा सकती है । सम्राट के आदेश पर ऐसे महान पुरूष की खोज प्रारम्भ हो गई । एक दिन उचित समय देखकर चन्दू ने बादशाह को सुझाव दिया । अमृतसर वाले श्री अर्जुन देव जी के पुत्र श्री हरिगोबिन्द जी, वह लगभग सभी बातों में पूर्ण हैं, अत: उन्हें बुलाकर ग्वालियर के किले में एकान्तवास में तपस्या करवाई जाये ।

बादशाह ने श्री हरि गोबिन्द साहब जी को निवेदन पत्र भेजकर दिल्ली पधारने का निमन्त्रण भेजा । इतिहास साक्षी है कि गुरूदेव जी के दिल्ली पधारने पर बादशाह ने उनका भव्य स्वागत किया और उनसे प्रार्थना की कि वह उसकी विपत्तिकाल से उभरने में प्रभु चरणों में बंदगी करके सहायता करे । इस पर गुरूदेव जी ने कहा – विपत्तिकाल आप पर है ही नहीं, यह तो षड्‌यन्त्र करने वाले पर है परन्तु बादशाह उनकी बात के रहस्य को न समझ पाया। अत: गुरूदेव जी ने तपस्या करने के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी। आप सहर्ष ग्वालियर के किले में चले गये । वहाँ पर पहले से ही 52 हिन्दू नरेश, जो कि भारत के अन्य भू– भागों की रियासतों (जागीरों) के स्वामी थे, अनश्चितकाल की कारावास भोग रहे थे ।

श्री गुरू हरिगोबिन्द साहब के ग्वालियर किले में प्रवेश से वहाँ के कैदियों के जीवनलीला में भी क्रान्तिकारी परिवर्तन आ गया। गुरूदेव जी वहाँ पर नित्यप्रति कीर्तन तथा प्रवचन करते, जिससे वहाँ के वातावरण में हर्षोल्लास छा गया । कैदियों का तो कायाकल्प हो गया । गुरूदेव जी के पराक्रमी जीवन से स्थानीय किलेदार उनका सेवक बन गया और वह गुरूदेव पर श्रद्धा रखने लगा। इस बीच चन्दू ने एक दूत द्वारा किलेदार को पत्र भेजा, जिसमें उसको प्रेरित किया गया था कि वह श्री गुरू हरिगोबिन्द जी को खाने में विष मिला कर देता रहे और धीरे धीरे उनकी जीवनलीला समाप्त कर दी जाये । बदले में किलेदार को रिश्वत रूप में 5,000 रूपये देने का वचन दिया गया था ।

किलेदार ने पत्र पढ़कर गुरूदेव जी के समक्ष रख दिया। वह पत्र गुरूदेव जी ने धैर्यपूर्वक अपने पास सुरक्षित रख लिया । कुछ दिनों पश्चात् फिर किलेदार के पास नया पत्र लेकर वही दूत आया, उसने फिर से किलेदार को गुरूदेव जी की हत्या के लिए प्रेरित किया गया था और रिश्वत की राशि बढ़ा दी गई थी। इस बार भी किलेदार ने वह नया पत्र गुरूदेव के समक्ष रख दिया । जिसे गुरूदेव ने सुरक्षित रख लिया ।

समय व्यतीत होता गया। गुरूदेव जी की तपस्या की अवधि भी समाप्त हो गई । इस बीच कैदी नरेश तथा किलेदार गुरूदेव जी के परम भक्त बन गये । वे लोग नहीं

चाहते थे कि गुरूदेव किले से वापिस लौटें । दूसरी तरफ दिल्ली में विपक्षियों ने बादशाह को उलझा के रखा और गुरूदेव जी की याद उसके हृदय से निकालने का प्रयास करने लगे ।

अमृतसर में माता गँगा जी ने जब यह अनुभव किया कि तपस्या की अवधि से अधिक समय व्यतीत हो गया है तो उन्होंने संदेश भेजकर सांई मीयां मीर जी को बुला भेजा और उनको प्रेरित किया कि वह दिल्ली जाकर श्री हरिगोबिन्द जी को वापिस लाने का प्रयत्न करे । सांई जी दिल्ली पहुँचे और बादशाह को मिले । बादशाह को अपनी भूल का एहसास हुआ । उसने संदेश भेजकर गुरूदेव को वापिस दिल्ली बुलाया परन्तु गुरूदेव जी ने कैदी नरेशों की विनती सुनकर वहाँ से लोटने से इन्कार कर दिया और कहा – हम तभी लोटेंगे जब इन सभी कैदियों को हमारे साथ ही मुक्त कर दिया जाये । बादशाह के लिए यह शर्त बहुत महँगा सौदा था, इसलिए वह दुविधा में पड़ गया । प्रशासनिक व्यवस्था के लिए उसने इन बागी नरेशों को कारावास में रखा था । अब बिना शर्त उनको रिहा कैसे किया जा सकता था परन्तु वह गुरूदेव जी का ऋणी था । अतः उसने इस समस्या को सुलझाने के लिए स्वयँ आगरा जाना ठीक समझा । वहाँ पहुँच कर उसने एक युक्ति से काम लिया। जिसके अन्तर्गत अपने विश्वासपात्र मंत्री वजीर खान के हाथों गुरूदेव जी को संदेश भेजा कि जो नरेश आपका दामन थामकर किले से बाहर निकल सकते हैं, उन्हें कैद से मुक्त किया जायेगा। इस पर गुरूदेव जी ने एक बहुकलियों वाला चोगा (कुर्त्ता) सिलवाया, जिसे पहन कर एक एक कली (कोना) एक एक नरेश को थमा दिया । संयोग से इस चोगे में 50 कलियाँ थीं इसलिए दो नरेश बाकी बच रहे । गुरूदेव जी ने उनकी पुकार भी सुनी और अपने गले में पड़े हुए परने (हजूरिये) का एक एक छोर उनको थमा दिया । इस प्रकार गुरू कृपा से सभी नरेश ग्वालियर के किले से मुक्ति पा गये ।

अब गुरूदेव जी आगरा पहुँचे तो उनका फिर से भव्य स्वागत किया गया। इस बार बादशाह ने गुरूदेव जी के साथ मित्रता का हाथ बढ़ाने के लिए इक्ट्ठे शिकार खेलने का प्रस्ताव रखा जो गुरूदेव जी ने स्वीकार कर लिया । एक दिन बादशाह ने गुरूदेव के समक्ष खेद व्यक्त किया और कहा – मुझे दुख है कि आपको मेरे लिए 40 दिन से कहीं अधिक समय एकान्तवास में ईबादत करनी पड़ी । वास्तव में मेरे कुछ दरबारी आप को वापिस बुलाने में विघ्न डाल देते थे । तब गुरूदेव जी ने कहा – हम जानते हैं, वह कौन है ? इस पर बादशाह ने आश्चर्य प्रकट किया तभी गुरूदेव जी ने वे दोनों पत्र जो चन्दू दीवान ने ग्वालियर के किलेदार को लिखे थे, बादशाह के समक्ष रख दिये । पत्र पढ़कर बादशाह ने निर्णय लिया कि चन्दू आपका अपराधी है, अतः मैं उसे आप को सौंप देता हूँ । आप उसे अपनी इच्छा अनुसार दंड दे सकते हैं । इस शुभ अवसर को हाथ में आये सिक्खों ने वरदान समझा और दीवान चन्दू लाल को अपने संरक्षण में ले लिया और उसे लाहौर नगर पहुँचा दिया, जहाँ उसे हथकड़ियाँ डालकर दुकान दुकान पर भीख माँगने के लिए विवश किया गया। एक गुरदिता नामक दुकानदार जो गुरूदेव का शिष्य था, जो कि

भड़भूजे का कार्य करता था । जब उसने चन्दू को अपनी दुकान पर एक भिखारी के रूप

में देखा तो उससे न रहा गया, उसे क्रोध में चन्दू लाल के सिर पर रेत डालने वाला बड़ा कड़छा दे मारा और कहा – तुमने श्री गुरू अर्जुन देव जी के सिर में गर्म रेत डलवाई थी, अत: मैं भी तुझे ठीक उसी प्रकार रेत वाले कड़छे से मृत्युदंड देता हूँ । चन्दू के सिर में भारी आघात हुआ और उसकी मृत्यु हो गई ।

नोट : भाई गुरदित्ता जी को शत्रु पक्ष द्वारा फैलाई गई अफवाह के कारण गलतफहमी (भ्रम) थी कि चन्दू ने गुरूदेव की हत्या करवाई है, जबकि ऐसा नहीं था । वास्तव में शत्रु पक्ष ने इस जघन्य हत्याकांड में अपने को बरी (मुक्त) करने के लिए गुरूदेव जी की हत्या को चन्दू लाल की घरेलू शत्रुता से जोड़ा था ताकि जनसाधारण का ध्यान उनकी काली करतूत से हट जाये ।

अब आप सोचते होंगे कि विरोधी पक्ष कौन था और उनको गुरूदेव जी की जघन्य हत्या कांड से अपना पल्लू छुड़वाने के लिए झूठ तथा मक्कारी का क्यों सहारा लेना पड़ा ?

जैसा कि आप पढ़ चुके हैं कि नक्ष बन्दी सम्प्रदाय का नेता (सर्गना) शेख अहमद सिरहिन्दी सम्पूर्ण भारत में एक छत्र इस्लाम का प्रसार देखना चाहता था । उसका मुरीद शेख फ़रीद बुख़ारी जो कि बादशाह का विश्वासपात्र सिपहसलहार (सेनापति) था, ने बादशाह की इस कार्य के लिए सहमति प्राप्त कर ली थी । अत: उन्होंने षड्यन्त्र रचा जिसके परिणामस्वरूप श्री गुरू अर्जुन देव जी को शहीद कर दिया गया । उनके लक्ष्य में गुरूदेव जी की स्थानीय भाषा में सहज–सरल अध्यात्मिक ज्ञान (गुरवाणी) बहुत बड़ी रूकावट थी क्योंकि उनका अपना ज्ञान अरबी भाषा में था जो कि स्थानीय जनसाधारण की समझ में नहीं आता था । अत: उनके सहयोगियों की सूची इस प्रकार है – काज़ी, किलेदार, जेलर, कोतवाल तथा जल्लाद इत्यादि

इन सभी लोगों ने जघन्य हत्या के बाद महसूस किया । बादशाह तो वास्तव में निर्पेक्ष था । उसका गुरूदेव जी की हत्या करने का हुक्म था ही नहीं । वह तो केवल लाख रूपये दंड के लिए कह गया था । अब वे विचारने लगे, लाहौर नगर की खलकत (जनता), सांई मीयां मीर जी तथा पँजाब प्रान्त का राज्यपाल (सूबेदार) मुर्तजा खान सभी तो गुरूदेव जी के पक्ष में हैं, अब इन लोगों को क्या उत्तर देंगे, इसलिए उन्होंने स्वयँ को निर्दोष दर्शाने के लिए एक युक्ति सोची, क्यों न इस हत्या को हम चन्दू लाल की घरेलू शत्रुता से जोड़ दें क्योंकि हमने उसी के यहाँ से गुरूदेव जी को अपने संरक्षण में लिया था । अत: उन्होंने चन्दू को बहकाया और उसे झांसा दिया । चापलूस चन्दू उनके षड्यन्त्र को समझ नहीं पाया । इस प्रकार शत्रु पक्ष अपने लक्ष्य को प्राप्त कर गया। उन्होंने चन्दूलाल से नगर में अफवाह फैलवाई कि गुरू जी ने स्नान करने की इच्छा प्रकट की थी, अत: वह रावी नदी पर स्नान करने गये और फिर वहाँ से नहीं लौटे ।

लाहौर नगर की जनता गुरूदेव जी की उत्सुकता से कुशलक्षेम का समाचार मिलने

की प्रतीक्षा में थी। अत: जैसे ही यह समाचार चन्दूलाल के मुँह से फैला कि गुरूदेव जी अब नहीं रहे । लाहौर नगर में चारों ओर शोक छा गया और जनसाधारण आपस में तरह तरह की अपुष्ट सूचनाओं (अफवाहों) के सहारे विभिन्न विभिन्न प्रकार के अनुमान लगाने लगे ।

इस प्रकार शत्रु पक्ष अपने को अदृश्य करने में सफल हो गया । लगभग सभी लोग शक के आधार पर चन्दू को गुरूदेव का हत्यारा मानने लगे । बद से बदनाम बुरा होता है । इस प्रकार चन्दू अपनी मूर्खता के कारण बुरी तरह बदनाम हो गया क्योंकि सांई मीयां मीर जी इस विषय में कुछ भी बताने को तैयार नहीं थे । वास्तव में उनकी खामोशी का कारण था कि वे हिन्दु-मुस्लिम मतभेद समाज में पुन: उजागर नहीं करना चाहते थे, ठीक इसी प्रकार गुरूदेव जी के वास्तविक हत्यारे शेख अहमद सिरहिन्दी और उसका मुरीद शेख फ़रीद बुख़ारी जो कि बादशाह का सेना अध्यक्ष था, ने भी अपने रचे हुए षड्यन्त्र को छिपाने के लिए अनजाने में एक भूल कर दी, उनकी चतुराई ही उनकी पोल खोलने का कारण बन गई । उन्होंने बादशाह के व्यक्तिगत परामर्शदात्ता को अपनी पीरी के रसूख से प्रभावित करके 'तुजाकि जहांगीरी' नामक रोजनामचे में एक झूठी इबादत जहाँगीर बादशाह की तरफ से लिखवाई और अपने को गुरूदेव जी की हत्या के दोष से मुक्त करने की असफल चेष्टा की । प्रकृति का यह एक अटल नियम है कि हत्यारा कितना भी चतुर क्यों न हो, वह एक आध भूल ऐसी करता है जो कि आने वाले समय में उसकी करतूत को नंगा करने में सहायक होती है । इन लोगों द्वारा लिखवाई गई झूठी इबादत को जब विवेकपूर्ण जाँचा गया तो उसकी प्रत्येक पंक्ति अथवा वाक्य जहाँगीर बादशाह के स्वभाव तथा जीवन चरित्र से कोई मेल नहीं खाती । हम यहाँ समस्त इबादत का विश्लेषण बहुत विस्तारपूर्वक करेंगे क्योंकि कुछ ऐतिहासिक तथ्य ऐसे हैं, जो इस इबादत को झूठा साबित करने में हमारी सहायता करेंगे ।

यह तो स्पष्ट है 'तुजाकि जहाँगीरी' नामक पुस्तक एक रोजनामचा है न कि जहाँगीर बादशाह की स्व-जीवनी । यदि निम्नलिखित इबादत बादशाह द्वारा लिखी गई होती तो वह उसमें पुन: संशोधन कर सकता था, जब उसके गुरूदेव जी के साथ मधुर सम्बन्ध हो गये थे तो बादशाह उसमें श्री हरिगोबिन्द जी के ग्वालियर किले की तपस्या, 52 नरेशों की बिना शर्त रिहाई, सच्चे पातशाह वाली घटना, चन्दूलाल को गुरूदेव जी को सौंपना, माता गँगा जी से क्षमा याचना तथा गुरूदेव जी के साथ आगरा से अमृतसर की लम्बी यात्रा का वृतान्त इत्यादि अवश्य ही लिख सकता था जबकि उस रोजनामचे में कुछ भी नहीं है ।

तुज़ाकि जहांगीरी नामक रोज़नामचे की इबारत का विश्लेषण

गोइदवाल जी, व्यास नदी के किनारे - - - - - - - - उसको सियासत और मासा के कानून अनुसार दण्ड दें ।

उपरोक्त इबारत में अनेकों त्रुटियां हैं क्योंकि यह जहांगीर के व्यक्तित्व और ऐतिहासिक

घटनाक्रम से मेल नहीं खाती । इसमें झूठ स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहा है । अतः प्रत्यक्ष षड्यन्त्र रचना के लक्षण महसूस हो रहे हैं ।

यह इबारत श्री गुरू अर्जुन देव जी की शहीदी से बाद लिखी हुई स्पष्ट हो रही हैं क्योंकि इस इबारत में भूतकाल की शब्दावली प्रयोग में लाई गई है, जैसे इसमें लिखा है – 'अरजन नाम का एक हिन्दू रहता था' भावार्थ यह हुआ गुरूदेव जी को मृत्युदंड दिया जा चुका है, जबकि जहांगीर गुरूदेव से लाख रूपये दण्ड रूप में वसूल करने का आदेश देकर स्वयं सिन्ध प्रान्त में तुरन्त चला गया था, वह दण्ड न वसूल होने पर विकल्प में कोई अन्य आदेश नहीं दे गया था । उसके जाने के बाद गुरूदेव जी को शहीद किया गया, इस बात की उसे सिन्ध में रहते समय कोई ज्ञान न था । वापिस दिल्ली पहुंचने पर ही उसको गुरूदेव जी की शहादत के विषय में सूचना मिली । अब प्रश्न यह उठता है कि इस बीच यह इबारत 'तुज़ाकि जहांगीरी' नामक रोजनामचे में किसने लिखवाई ?

1. बादशाह जहांगीर के जीवन को पढ़ने के उपरान्त यह ज्ञात होता है कि वह पीरी फकीरों का बहुत आदर करता था । वह कई बार सांई मियां मीर जी के पास आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्ति के लिए आता था । ऐसा मनुष्य कभी भी निम्नलिखित पंक्तियां नहीं लिख सकता । जो यह जानता हो कि मेरे पिता इस दर घर पर आये थे और वह सन्तुष्ट होकर लौटे थे । 'अपने को वली तथा पीर होने का ढोल बहुत ऊँचे स्वर में बजाया हुआ था और लोग उसको गुरू कहते थे' यह पंक्तियां किसी ईर्ष्यालू पुरूष की है । अतः स्पष्ट है कि यह मनुष्य क़ोई और नहीं शेख अहमद सरहिंदी ही था ।

2. जहांगीर जब यौवन को प्राप्त हुआ, तब उसके पिता जी ने उसे बिहार–बंगाल का राज्यपाल बनाकर पूर्व देश में भेज दिया था । अतः उसका सम्बन्ध पंजाब के साथ था ही नहीं, इसलिए निम्नलिखित पंक्तियां निराधार मालूम हो रही है । 'बड़ी देर से मेरे मन में यह विचार उत्पन्न हो रहा था कि झूठ की इस दुकान को बन्द करना चाहिए'

जब जहांगीर गद्दी पर बैठा, तभी उसका सम्बन्ध पंजाब के साथ जुड़ा । उससे पहले उसको किस बात की गुरूदेव जी के साथ ईर्ष्या थी ? जबकि उससे पहले उसका गुरू घर से कोई भी नाता नहीं था । यह पंक्तियां जहांगीर की नहीं हो सकती बल्कि शेख अहमद सरहिंदी की है क्योंकि उसे इस्लाम के प्रचार में गुरूदेव जी की वाणी रूकावट जान पड़ती थी ।

3. जहांगीर का ननिहाल परिवार हिन्दू होने के कारण वह हिन्दू संस्कारों से भली भान्ति परिचित था । उसकी किशोर आयु के लगभग 5 वर्ष ननिहाल में ही व्यतीत हुए । जब वह यौवन को प्राप्त हुआ, तभी वापिस आगरा लौटा । यहीं बस नहीं, उसने तीन–चार विवाह हिन्दू राजकुमारियों से किये । अतः स्वाभाविक है, वह हिन्दू संस्कारों वाला व्यक्ति था, जो मिलीजुली जीवनशैली अपनाता था । फिर निम्नलिखित पंक्तियों में अज्ञानता क्यों प्रकट की गई है । 'केसर से उसके माथे पर टीका लगाया, जिस को हिन्दू लोग तिलक कहते हैं तथा शगुन मानते हैं'

इन पंक्तियों को लिखने का अंदाज किसी अज्ञानी व्यक्ति का है जो केसर और हिन्दु प्रथाओं के विषय में नहीं जानता अर्थात तृत्तीय व्यक्ति, जिसका कभी इन संस्कारों के साथ कभी सम्बन्ध ही न रहा हो जबकि हिन्दू परिवारों में पूजा-पाठ के समय केसर का बहुत प्रचलन है । अत: सिद्ध होता है कि यह पंक्तियां बादशाह ही नहीं शेख अहमद सरहिंदी का है, जो कट्टर मुस्लिम संस्कारों का था ।

4. यदि बादशाह ने गुरूदेव जी के घर-घाट और बच्चे, माल असवाब जब्त करने का हुक्म दिया होता तो मुर्तजा खान की क्या औकात थी कि इस पर अमल न करता परन्तु यह कार्य कभी हुआ ही नहीं क्योंकि बादशाह ने ऐसा कोई आदेश दिया ही नहीं । इबारत में लिखा है कि ----

'मैंने उसके घर घाट और बच्चे मुर्तजा खां के हवाले कर दिये और उसका माल असवाब जब्त करने का हुक्म दिया'

इस आदेश के अनुसार काम हो चुका है परन्तु ऐसा आदेश कभी बादशाह ने दिया ही नहीं । इस प्रकार स्पष्ट है कि यह इबारत बादशाह की नहीं, शेख अहमद सरहिंदी द्वारा लिखी गई है ।

6. इतिहासकार बादशाह जहांगीर को अपने समय का बहुत बड़ा न्यायकार मानते हैं जबकि इस समस्त इबारत में गुरूदेव जी पर कोई आरोप नहीं लगाया गया है, केवल सियासत और मासा कानून के अन्तर्गत मृत्युदण्ड देने की बात कही गई है ।

'उसको सियासत और मासा के कानून अनुसार दण्ड दें'

अब विचारने वाली बात यह है कि एक न्यायकार मनुष्य बिना किसी कारण अथवा अपराध बताये बिना, किसी निर्दोष व्यक्ति के प्रति ऐसे आदेश किस प्रकार दे सकता है ? अत: स्पष्ट है कि यह इबारत बादशाह द्वारा नहीं लिखी गई ।

गुरूदेव जी की शहीदी की न्यायिक जाँच

न्यायधीश - आज तक परम्परा अनुसार जनता को जो घटनाक्रम सुनाया जाता है, उस अनुसार चंदू नामक जहाँगीर बादशाह के एक अधिकारी की बेटी का रिश्ता श्री गुरू अर्जुन देव जी ने अपने बेटे श्री हरि गोबिन्द जी के लिए स्वीकार करने के पश्चात् चंदू द्वारा अभिमान में कहे गये (पुरोहित को) व्यंगपूर्ण शब्दों के कारण ठुकरा दिया था । जिसके बदले में चंदू ने गुरूदेव की हत्या करवा दी । इस विषय में विपक्षी वकील को कुछ कहना है ?

विपक्ष वकील - महोदय, क्षमा करें, यह बात जन-साधारण को गुमराह करने के लिए षड्यन्त्रकारियों ने फैला दी थी परन्तु वास्तविकता इस के बिल्कुल भिन्न तथा विपरीत है । यदि आज्ञा हो तो विस्तारपूर्वक इस घटनाक्रम का वर्णन करूँ ?

न्यायधीश - आज्ञा दी जाती है ।

विपक्ष वकील - यह ठीक है कि गुरू अर्जुन देव जी ने दिल्ली की संगत के संदेश मिलने

पर चंदू की बेटी का रिश्ता अपने बेटे श्री हरिगोबिन्द के लिए लेने से साफ इन्कार कर दिया था, परन्तु चन्दूशाह इस रिश्ते को बनाने के प्रयत्न फिर से करने लगा था । वास्तव में वह इस रिश्ते से संतुष्ट था किन्तु वह इस कार्य में सफल नहीं हो पाया । इस प्रकार यह घटनाक्रम यहीं समाप्त हो गया । इत्फाक से उन्हीं दिनों बादशाह जहाँगीर के पुत्र खूसरो ने अपने पिता के विरूद्ध विद्रोह कर दिया । जिसमें वह बुरी तरह असफल हुआ । उसे काबुल भागते समय चनाब नदी पार करते पकड़ लिया गया और मृत्युदंड दे दिया गया । परन्तु उस विद्रोही कांड से लाभ उठाने के लिए शेख अहमद सरहन्दी, जो उन दिनों नक्षबन्दी गुट का मुखिया, इसलाम का प्रचारक था, ने अपने साथ शेख फरीद बुख्वारी जो उन दिनों बादशाह जहाँगीर का वरिष्ठ सैनिक अधिकारी था, के साथ मिलकर एक षड्यन्त्र रचा, जिसमें एक साधारण सी घटना को बढ़ा चढ़ा कर विद्रोहियों का गुरूदेव जी को भागीदार प्रकट करने की चेष्टा करने लगा, अत: इन लोगों ने बादशाह जहाँगीर को गुमराह किया, उसे बहकाया कि तुम्हारे बागी पुत्र की श्री अर्जुन देव जी ने आर्थिक सहायता की है और उसे आशीर्वाद दिया है।

विपक्ष वकील – महोदय, जैसा कि आप जानते ही हैं, शत्रु पक्ष का उद्देश्य श्री गुरू अर्जुन देव जी की हत्या करना न था, वह तो केवल उनको यातनाएं देकर अथवा पीड़ित करके इस्लाम स्वीकार करवाना चाहते थे । अत: उनको इतने विशाल पैमाने में हत्या की सामग्री एकत्र करने की क्या आवश्यकता थी । जबकि वह हत्या ही करना चाहते तो काजी के दिये गये फतवे के अनुसार गाय के चमड़े में मढ़ कर उन्हें मृत्युदंड दे सकते थे ।

दूसरी तरफ गुरूदेव जी का दृढ़ निश्चय था कि मेरा कोई शत्रु नहीं, मेरे साथ जो क्रूर व्यवहार हो रहा है, वह उस प्रभु की इच्छा के अनुसार ही हो रहा है । अत: वह सन्तुष्ट थे, इसलिए उन्होंने विरोधी पक्ष के लिए कोई आत्मबल का प्रयोग नहीं किया, जबकि वहाँ पर पधारे सांई मीयां मीर जी उनसे निवेदन कर रहे थे कि आप हमें आज्ञा दें तो इन दुष्टों का वह आत्मबल से अनिष्ट कर दें । परन्तु गुरूदेव ने उन्हें ब्रह्म ज्ञान का उपदेश देकर वापस लौटा दिया था।

अब प्रश्न यह उठता है कि जब गुरूदेव जी ने आत्म बल का प्रयोग किया ही नहीं तथा न ही किसी अन्य को इसके लिए अनुमति प्रदान की तो फिर क्या अग्नि ने अपना स्वभाव अथवा कर्त्तव्य बदल लिया था ? मेरे कहने का तात्पर्य है कि तथाकथित विद्वान 400 वर्ष से यह कहते चले आ रहे हैं कि गुरूदेव जी को सर्वप्रथम उबलते हुए पानी की देग में बैठा दिया गया, फिर उनको गर्म लाल लोहे (रोटी पकाने वाली लोहे की प्लेट) पर बैठा दिया गया । तद्पश्चात उनके सिर पर भड़भूंजे द्वारा भट्ठी में गर्म किये गये रेत को सिर में डाला गया । बात यहीं समाप्त ही नहीं हुई, फिर उनको रावी नदी में स्नान के लिए ले जाया गया । जहाँ पर वे लापता हो गये ।

मेरा सब कुछ आपको बताने का मनोरथ सिर्फ इतना है कि आप जान जाएंगे कि यह सब अतिकथनी है, जिसका कोई सिर पैर नहीं क्योंकि यह सब कार्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण से

सम्भव ही नहीं, क्योंकि साधारण परिस्थितियों में सामान्य व्यक्ति केवल उबलते हुए पानी में बैठाने पर तुरन्त मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, दूसरी सजा देने की नौबत ही नहीं आयेगी, जबकि उस समय स्थानीय तापमान 45 डिग्री के लगभग रहा होगा क्योंकि इतिहासकार कहते हैं कि उन दिनों लाहौर में भीषण गर्मी का प्रकोप बना हुआ था ।

चलो मान ही लेते हैं कि कोई व्यक्ति उबलते हुए पानी में से जीवित निकल ही आये तो कल्पना कीजिए कि उस व्यक्ति के शरीर पर कितने भयंकर फफोले होंगे ? क्या ऐसी परिस्थिति में ऐसे अर्ध मरे व्यक्ति को गर्म लाल लोहे पर बिठाया जा सकता है ? यदि मान ही लिया जाए कोई उन्हें उठाकर गर्म लोहे पर बिठा देता है तो क्या गर्म लोहा उन्हें भस्म नहीं कर देगा, क्या उसके पश्चात् फिर भड़भूंजे द्वारा तैयार गर्म रेत सिर पर डालने का औचित्य बाकी रह जाता है ? कल्पना कीजिए, 200 डिग्री तापमान का रेता किसी व्यक्ति के सिर पर डाला जाये तो उस व्यक्ति का दिमाग पिघल कर नाक के मार्ग से किसी गति से एक प्रवाह (सराव) करेगा और उस व्यक्ति की सुध उसी क्षण मृत्यु को प्राप्त होगी अथवा नहीं ? फिर ऐसे में यह कहना कि गुरूदेव जी ने इच्छा प्रकट कि मैं स्नान करने रावी नदी पर जाना चाहता हूँ । क्या कोई व्यक्ति उबलते हुए पानी में बैठने पर तथा गर्म लोहे पर बैठने पर, इसके अतिरिक्त भड़भूंजे द्वारा 200 डिग्री तापमान की रेत सिर पर डलवाने के पश्चात स्नान करने की इच्छा प्रकट करने योग्य शेष रह जाता है ? इन बातों में आप विवेक बुद्धि द्वारा सत्य, असत्य का परीक्षण कर निर्णय देने का कष्ट करेंगे कि शत्रु पक्ष ने जनसाधारण को अपने झूठे प्रोपगंडे से कैसे गुमराह किया है ?

जैसा कि आप जानते ही हैं – चंदू ने गुरूदेव जी से पुन: रिश्तेदारी गाँठने के लिए लाहौर के राज्यपाल मुर्तजाखान से उन्हें एक लाख रूपये दंड की राशि चुकता करने के बदले में प्राप्त कर लिया । वह उन्हें अपनी हवेली में ले गया । वहाँ उसने हर प्रकार से प्रयत्न कर के देखलिया, गुरूदेव जी ने उसकी बेटी का रिश्ता अपने लड़के के लिए स्वीकार नहीं किया । उनका एक ही उत्तर था कि मुझे संगत का आदेश है कि यह रिश्ता स्वीकार न करें । अत: यह अब सम्भव नहीं । इस पर चंदू उनके साथ अभद्र व्यवहार करने लगा । उसने धमकी भी दी और कड़वे फीके संवाद भी कहे और उन्हें रात्रि को एकांत कमरे में बन्द कर दिया ।

चंदू की बहू जो कि गुरू घर की शिष्या थी, ने अर्धरात्रि को गुरूदेव के लिए शरबत लाई और उसने गुरूदेव जी से अनुरोध किया कि वह उस का तैयार शरबत ग्रहण करें परन्तु गुरूदेव जी ने उसे सांत्वना देते हुए कहा कि मैं यह जल स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि संगत का हुक्म नहीं । इस पर बहू ने गुरूचरणों में प्रार्थना की कि मैं तब तक भोजन अथवा जल ग्रहण नहीं कर सकती जब तक आप हमारे यहां का अन्न-जल ग्रहण नहीं करते, मैं भूखी-प्यासी मर जाऊँगी परन्तु बिना आपके भोजन करवाये अपना उपवास नहीं तोड़ूंगी ।

चंदू की बहू ने अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण की और भूखी-प्यासी बेसुधी की दशा में प्राण त्याग

दिये।

यह सत्य है कि जब गुरूदेव जी को यातनाएं दी जा रही थी, तब चंदू की बहू की मृत्यु हो चुकी थी । उसके घर पर मातम छाया हुआ था । वह अपनी बहू की शव यात्रा की तैयारी में जुटा हुआ था कि बहू की अन्तयेष्टि की जा सके ।

1. अत: स्पष्ट है कि वह अपने घर पर ही था । जहाँ दुष्ट जुंडली गुरूदेव जी को यातनाएं दे रहे थे, वहाँ नहीं था ।

2. चन्दू वित्त मंत्रालय में एक अधिकारी था न कि कोई किलेदार, कोतवाल, जेलर अथवा जल्लाद इत्यादि अब प्रश्न उठता है कि उसकी गुरूदेव की हत्या की डयूटी कैसे लगाई जा सकती थी ?

3. काजी ने गुरूदेव को यासा (इस्लामी कानून) के अंतर्गत मृत्युदंड देकर गाय के चमड़े में मढ़ कर मार देने का आदेश दिया था । क्या यह कार्य किसी हिन्दू व्यक्ति द्वारा करवाया जा सकता है ? दुष्ट जुडली का मुख्य उद्देश्य गुरूदेव जी को इस्लाम कबूल (स्वीकार) करवाना था, जबकि चंदू स्वयँ एक कट्टर हिन्दू व्यक्ति था ।

4. दुष्ट जुंडली जानती थी कि चंदू गुरूदेव के साथ बिगड़े हुए सम्बन्ध सुधारने के लिए एक लाख रूपये दंड देने को भी तैयार है और वह उन से समधी जैसे मधुर सम्बन्ध स्थापित करना चाहता है, जब कि वे लोग गुरूदेवजी को यातनाएं देकर चंदू की विचारधारा के विरूद्ध उन्हें इस्लामी मत में लाना चाहते थे। अब विचारणीय विषय यह है कि ऐसे में वे लोग चंदू जैसे हिन्दू पर कैसे भरोसा कर सकते थे कि वह इस जघन्य कार्य में सहयोग देगा ?

5. यदि हम गुरूदेव जी की अमर शहादत (शहीदी) को चंदू की घरेलू शत्रुता से जोड़ते हैं तो वह शहीदी की परिभाषा से हटकर एक हत्याकांड बन जाता है।

6. षड्यन्त्र इसी को कहते हैं कि जहाँ दुष्ट जुंडली अपनी करतूतों को दूसरों के सिर मढ़कर स्वयँ आरोपों से बच निकलती है, अर्थात उन्होंने चंदू को झांसा देकर उल्लू बनाया और उसके मुँह से कहलवाया कि गुरूदेव जी ने स्नान करने की इच्छा व्यक्त की थी, सो वह वहाँ गये और फिर नहीं लौटे । इस प्रकार भोलेपन में लोगों ने गुरूदेव जी की जघन्य हत्याकांड के मुख्य दोषी के रूप में चंदू को दोषी माना, जबकि उस हत्याकांड में वह था ही नहीं ।

7. पंजाबी सभ्यता में कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी व्यक्ति ने रिश्ता टूटने पर दूसरे पक्ष की हत्या कर दी हो बल्कि वधू पक्ष वाला व्यक्ति स्वाभिमान में यह कहते तो देखा गया है कि मेरी पुत्री कौनसी बूढ़ी हो चली है । उसके लिए वरों की क्या कमी है, इत्यादि।

न्यायधीश – तुजाकि जहाँगीरी नामक रोज़नामचे की इबारत में किसी को कोई शक है तो अभी इस की प्रमाणिकता पर गोष्टी की जा सकती है । अत: विपक्षी वकील इस पर अपने विचार प्रस्तुत कर सकता है ।

विपक्षी वकील – 'महोदय, मैं निम्नलिखित इबारत "गोइंदवाल जो व्यास नदी के किनारे

पर स्थित है - - - - झूठ की दुकान को बन्द करना चाहिए था । उसके मुसलमानी मत में ले आना चाहिए'' का पूरी तरह खंडन करता हूँ क्योंकि यह (लाईनें) पंक्तियां बादशाह के व्यक्तित्त्व और उसके जीवन्चर्या से मेल नहीं खाती । अत: वह किसी ईष्यालु व्यक्ति द्वारा लिखी गई हैं ।

जैसा कि आप जानते ही हैं - शहजादा सलीम (जहाँगीर) एक हिन्दू माता योद्धाबाई की कोख से उत्पन्न हुआ था । योद्धाबाई एक राजपूत हिन्दू सँस्कारों वाली महारानी थी । इसके अतिरिक्त अकबर बादशाह भी कोई कट्टर मुस्लिम विचारधारा वाला व्यक्ति नहीं था । उसका समस्त बचपन राजस्थान के राजघरानों की पनाह में व्यतीत हुआ था । अत: सलीम के लालन पालन में उसे हिन्दू सँस्कार प्राप्त हुए थे । जब वह तेरह वर्ष का हुआ तो उसे शराब पीने की बुरी लत पड़ गई थी । अकबर के लाख मना करने पर भी जब उसकी यह बुरी आदत न छूटी तो अकबर ने उसे ननिहाल राजस्थान भेज दिया, जहाँ शराब नाम की कोई वस्तु न होती थी, इस प्रकार वह पाँच वर्ष तरूण (किशोर) अवस्था में हिन्दू घरानों में व्यतीत करके लगभग 18 वर्ष की आयु में वापस आगरा लौटा ।

आप तो जानते ही हैं कि व्यक्ति को जो सँस्कार मिलते हैं , वह इसी तरूण अवस्था में ही मिलते हैं । जो परिपक्व होकर समस्त जीवनभर एक विशेष व्यक्तित्त्व के रूप में उभरते हैं इसके अतिरिक्त जहाँगीर बादशाह ने तीन हिन्दू राजकुमारियों से विवाह किया था । मनुष्य अर्धांग्नि (जीवन संगिनी) का प्रभाव स्वीकार किये बिना नहीं रह सकता । अत: स्वाभाविक ही है कि वह हिन्दू वातावरण में रहते हुए हिन्दू विरोधी विष कैसे उगल सकता है ?

1. इतिहास साक्षी है कि जहाँगीर बादशाह ने अपने शासनकाल में किसी हिन्दू को उसके हिन्दू होने के कारण दंडित नहीं किया ।

2. इतिहासकार सम्राट जहाँगीर को एक न्यायकारी राजा मानते हैं, फिर यह इबादत किस प्रकार सच्ची मानी जा सकती है कि किसी निर्दोष व्यक्ति को यासा कानून के अंतर्गत मृत्युदंड बिना दोष सिद्ध हुए दिया जाए ।

3. इस बात से प्रमाणित होता है कि रोजनामचा 'तुजाकि जहाँगीरी' में लिखी इबारत का लेखक बादशाह जहाँगीर नहीं, वह तो कोई ईष्यालु व्यक्ति शेख अहमद सरहिन्दी ही हो सकता है, जिसे श्री गुरू अर्जुन देव जी की वाणी से ईर्ष्या थी, क्योंकि वह इस्लाम का प्रचार करने में इसे अपने मार्ग में सबसे बड़ी बाधा मानता था ।

4. तुज़ाकि जहाँगीरी नामक रोज़नामचे की यह निम्नलिखित इबारत की भाषाशैली, शेख अहमद सरहिंदी की अन्य कई पत्रों से मिलती है, जो उसने समय समय अपने घनिष्ट मित्र शेख फरीद बुखारी को लिखे थे । 'गोइंदवाल जो व्यास नदी के किनारे - - - - - - उसको मुसलमानी मत में ले आना चाहिए' ।

5. 'तुज़ाकि जहाँगीरी' नामक एक सरकारी रोजनामचा है न कि जहाँगीर बादशाह की स्व-जीवनी । इस तत्कालीन सरकारी दस्तावेज को बादशाह जहाँगीर द्वारा लिखित

उसकी स्वजीवनी मानना भारी भूल है ।

6. उपरोक्त रोज़नामचे की इबारत में अनेकों त्रुटियाँ हैं, क्योंकि यह ऐतिहासिक घटनाक्रम से मेल नहीं खाती । उदाहरण के लिए –'- - - - तीन चार पीढ़ियों से उनकी दुकान गर्म थी । बड़ी देर से मेरे मन में यह विचार उत्पन्न हो रहा था कि झूठ की इस दुकान को बन्द करना चाहिए या उसको मुसलमानी मत में ले आना चाहिए' ।

उत्तर : राजकुमार (बादशाह) सलीम जब युवावस्था को प्राप्त हुआ, तब उसे बादशाह अकबर ने पूर्वी क्षेत्र बँगाल-बिहार का राजपाल नियुक्त कर दिया था, जब वह सम्पूर्ण रूप से बादशाह बना तो उसका सम्बन्ध पँजाब तथा अन्य प्रान्तों से जुड़ा, इससे पहले वह कभी पँजाब आया ही नहीं था । अत: जब वह गुरू अर्जुनदेव जी को जानता ही नहीं था तो यह ईर्ष्या कैसी ? स्वाभाविक है कि यह ईबारत बादशाह की नहीं किसी ईष्यालु व्यक्ति की है, जिसे गुरू अर्जुनदेव जी से ईर्ष्या है । स्वाभाविक है, यह ईर्ष्या शेख अहमद सरहिंदी को थी क्योंकि उसे गुरू अर्जुन देव, इस्लाम के प्रचार में बाधक महसूस हो रहे थे ।

7. इबारत में लिखा है – 'वह उसको (गुरू जी) मिला तथा निश्चित बातें सुनाई तथा उसने (गुरू जी) एक अंगुली केसर उसके (खूसरो) माथे पर टीका लगाया, जिसको हिन्दू लोग तिलक कहते हैं तथा शुभ शगुन मानते हैं ।'

उत्तर : इन पंक्तियों को लिखने का अंदाज किसी तृत्तीय व्यक्ति (Third Person) का है अर्थात जैसे लेखक का कभी इन सँस्कारों से कभी परिचय नहीं हुआ । जबकि विवाहों में केसर का खूब प्रयोग किया जाता है । बादशाह जहाँगीर ने तीन विवाह हिन्दू राजकुमारियों से हिन्दू सँस्कारों अनुसार करवाये थे । प्रश्न – फिर ये पंक्तियां किसी की लिखी हैं ?

8. इबारत में लिखा है – 'मैंने उसके घर-घाट और बच्चे, मुर्तजाखवान के हवाले कर दिये और उसका माल असवाब जब्त करने का हुक्म दिया' ।

उत्तर : इतिहास साक्षी है कि मुर्तजाखवान ने गुरू घर का कोई माल-असवाब जब्त नहीं किया तथा न ही गुरू हरिगोबिन्द जी को अपनी रियासत में लिया । वैसे भी झूठ स्पष्ट है, लिखा है – माल-असवाल जब्त करके हुक्म दिया, अर्थात कार्य सम्पूर्ण हो चुका है, जबकि यह घटनाक्रम हुआ ही नहीं । वास्तव में इन पंक्तियों का लेखक बादशाह जहाँगीर नहीं बल्कि शेख अहमद सरहिंदी ही है।

9. इबादत में लिखा है – 'पीरों बुजुर्गो की वेश-भूषा में (गुरू) अर्जुन नामक एक हिन्दू निवास करता है । सीधे साधे हिन्दू ही नहीं बल्कि बहुत से मूर्ख तथा अन्जान मुसलमानों को भी उसने अपनी जीवन शैली का श्रद्धालु बना कर स्वयं को 'वली तथा पीर' होने का ढोल बहुत ऊँचे स्वर में बजाया हुआ है और सभी उसको गुरू कहते थे ।'

उत्तर : शहजादा सलीम क्या यह नहीं जानता था कि उसके पिता बादशाह अकबर इस

'दर' गये थे और वहाँ से अध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त संतुष्ट होकर लौटे थे । यदि वह जानता था तो फिर किस प्रकार यह उपरोक्त पंक्तियां वह लिख सकता है ?
वास्तव में यह सतरां जहाँगीर की नहीं, शेख अहमद सरहिंदी की है ।

10. इबादत में लिखा है – 'उसको मुसलमानी मत में ले आना चाहिए' ।

उत्तर : जहाँगीर बादशाह कोई शरा का पाबन्द भी न था तथा वह कोई परेज़गार भी नहीं था । हिन्दू माता से उत्पन्न होने के कारण तथा हिन्दू वातावरण में पालन पौषण होने के कारण वह हिन्दू, मुस्लिम सँस्कारों का मिश्रण वाला (मिलगोभा) जीवन जी रहा था । इतिहास साक्षी है उसने अपने समस्त जीवन में किसी हिन्दू को बल प्रयोग कर के इस्लाम स्वीकार करने पर विवश नहीं किया ।– – – –

विपक्षी वकील – महोदय, श्री गुरू अर्जुनदेव जी को शहीद कर पाने में और बहुत से लोगों का भी हाथ रहा है, जैसे बीरबल (महेशद'ास), भक्त कान्हां जी, पृथी चन्द (गुरूदेव का बड़ा भाई), चन्दू और सम्राट जहाँगीर इत्यादि ।

पक्ष वकील – महोदय, जैसा कि आप जानते ही हैं कि समस्त व्यक्तियों के मित्र अथवा शत्रुओं का होना स्वाभाविक सी बात है, भले ही वह व्यक्ति अवतार श्रेणी के ही क्यों न हो । अत: व्यक्ति के जीवन में उसके कुछ मित्र अथवा शत्रु होते ही हैं, परन्तु यहाँ हम केवल उन शत्रुओं को लेंगे, जिन्होंने गुरूदेव की षड्यन्त्र द्वारा हत्या करवाई है बाकी के शत्रुओं का उनकी शहीदी से कोई लेना देना नहीं है क्योंकि वे सभी कालवास हो चुके थे अर्थात शहीदी के समय उनका अस्तित्त्व नहीं था । जैसे बीरबल, भक्त कान्हा जी, पृथी चन्द इत्यादि । यदि हम इन लोगों को शहीदी कांड के साथ जोड़ेगें तो एक तो शहीदी के महत्त्व को कम करेंगे, दूसरा वास्तविक हत्यारे को जो कि षड्यन्त्रकारी हैं, अंजाने में उसे बचाने में उसकी सहायता कर रहे हैं । श्री गुरू अर्जुनदेव जी ने अपने प्राणों की आहुति बहुत ऊँचे आदर्श के लिए दी थी । वह थी – शेख अहमद सरहिंदी 'नक्षबन्दी' सम्प्रदाय के संचालक से लोहा लेना जो कि समस्त भारत में प्रशासनिक बल द्वारा इस्लाम का प्रचार करना चाहता था और वह इस कार्य में सफल हुए ।

विपक्षी वकील – महोदय, गुरू अर्जुनदेव जी को पँजाब के राज्यपाल मुर्तजा खान ने शहीद करवाया था न कि शेख अहमद सरहिंदी ने ।

पक्ष वकील – महोदय, यह बात कोरी झूठी है, मुर्तजा खान श्री गुरू अर्जुन देव जी का बहुत आदर करता था, वह स्वयं को उनका ऋणी मानता था, जैसा कि इतिहास से विदित होता है – मुर्तजा खान लाहौर नगर का काफी लम्बे समय से प्रशासनिक अधिकारी तथा पँजाब प्रान्त का राज्यपाल की नियुक्ति पर था । अकबर के शासनकाल के समय में लाहौर नगर में वर्षा न होने के कारण 'अकाल' पड़ गया, अनाज के अभाव में जनसाधारण भूखे प्यासे मरने लगे । उस विपत्तिकाल में गुरू अर्जुनदेव जी ने अपने कोष से स्थान स्थान पर लँगर लगाकर निष्काम सेवा की और पीड़ित लोगों को रोज़गार देकर राहत पहुँचाई । ऐसा ही उन्होंने इससे पहले हैजा, चेचक, प्लेग, गिलटी ताप आदि रोग फैलने के समय

विशेष शिविर लगाकर रोगियों का उपचार किया और मृत लोगों का अन्तिम सँस्कार करने के लिए सेवा समितियों की स्थापना की । इसके अतिरिक्त उन्होंने बादशाह अकबर को उसके पँजाब दौरे के समय प्रेरित किया कि वह सोके से पीड़ित पँजाब के किसानों का लगान माफ कर दे । जिसे उसने सहर्ष स्वीकार कर लिया था ।

यह सभी बातें मुर्तजा खान के हृदय में गुरूदेव के प्रति आदरभाव उत्पन्न करने में सहायक बन रही थी । अत: वह नहीं चाहता था कि शेख अहमद सरहिंदी तथा उसके सहयोगी शेख फरीद बुखारी की जुंडली गुरूदेव जी को कोई हानि पहुँचाए ।

मैं यह यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जैसा कि कुछ लेखकों को गलतफहमी हुई है कि शेख फरीद बुखारी और मुर्तजा खान एक ही व्यक्ति के दो नाम हैं । यह बात बिल्कुल झूठी है क्योंकि शेख फरीद बुखारी उन दिनों केन्द्रीय प्रशासन में एक वरिष्ठ सैनिक अधिकारी था, जिसने खुसरों की बगावत को कुचला था, ठीक उसी समय पँजाब प्रान्त का राज्यपाल मुर्तजाखान था । अकबर के समय से हम नियुक्ति पर चला आ रहा था ।

वैसे शेख मुसलमानों में बहुत ही ऊँची श्रेणी मानी जाती है, जैसे हिन्दुओं में ब्राह्मण । शेख फरीद बुखारी एक सम्पूर्ण तथा मान्यवर नाम है । ठीक इसी प्रकार मुर्तजा खान भी अपने आप में सम्पूर्ण तथा मान्यवर नाम है । फिर क्या आवश्यकता पड़ गई थी कि एक उपाधि के बदले, एक सम्पूर्ण व्यक्तित्त्व वाला व्यक्ति अपना सम्पूर्ण नाम ही बदल डाले ।

मैं यह विदित करना चाहता हूँ कि उन दिनों शेख अहमद सरहिंदी बादशाह जहाँगीर का पीर मुर्शद के रूप में था, जिसका उस समय रूतबा बेताज बादशाह से कम न था । अत: उसने अपने निजी स्वार्थसिद्धि के लिए षड्यन्त्र रच कर शाही काज़ी से गुरूदेव के विरूद्ध फतबा (अभियोग) लगाया और उनको यातनाएँ देकर शहीद कर दिया ।

इतिहास साक्षी हैं, उस समय सम्राट स्वयँ सिंध प्रान्त के लिए प्रस्थान कर चुका था

सम्राट अकबर तथा आदि ग्रन्थ साहब की बीड़ (पोथी)

1. मुगल इतिहास साक्षी है कि बादशाह अकबर सन् 1598 ईस्वी के उपरान्त पँजाब नहीं लौटा । अक्तूबर, सन् 1605, में उसका देहान्त लम्बी बीमारी भोगने के पश्चात् हो गया, जबकि श्री गुरू अर्जुन देव जी ने आदि ग्रन्थ साहब का सम्पादन सन् 1604 ईस्वी में एक सितम्बर को सम्पूर्ण किया । इसका अर्थ यह हुआ कि बटाला नगर में आदि ग्रन्थ साहब को अकबर द्वारा जाँचा जाना निराधार, मनोकल्पित, झूठी कहानी है क्योंकि अकबर आदि ग्रन्थ साहब की सम्पादन के पश्चात् पँजाब आया ही नहीं ।

2. शत्रु (ईर्ष्यालु) पक्ष यह जानते थे कि अकबर गुरू नानक देव की गद्दी के उत्तराधिकारियों पर अथाह श्रद्धा रखता है । अत: उसके पास गुरू अर्जुनदेव जी पर निराधार दोष – आरोपण करना व्यर्थ है क्योंकि एक बार पहले ऐसा करके पराजित हो चुके थे ।

मुर्तजा खान पंजाब प्रान्त का लम्बे समय से राज्यपाल नियुक्त था । उन दिनों पंजाब की राजधानी लाहौर नगर थी । सम्राट अकबर के शासनकाल में जब लाहौर नगर में अकाल पड़ गया था तथा वहाँ पर समय समय हैजा, चेचक, प्लेग, गिलटी ताप (बुखार) इत्यादि रोगों के कारण बहुत बड़ी सँख्या में अमूल्य जीवन मृत्यु शैय्या पर नष्ट हो गया । ऐसे विपत्तिकाल में श्री गुरू अर्जुनदेव ज़ी द्वारा जनसाधारण की बिना भेदभाव निरपेक्ष रूप में की गई निष्काम सेवा मुर्तजा खान देख रहा था । गुरूदेव जी का स्थानीय जनता में लोकप्रिय होना तथा सांई मीयां मीर जी की गुरूदेव जी से घनिष्ट मित्रता उससे छिपी हुई न थी । वह गुरूदेव जी का अपने को ऋणी मानता था क्योंकि सूखे के समय गुरूदेव जी ने सम्राट अकबर से किसानों की तरफ से अनुरोध करके उनका लगान माफ करवा दिया था जोकि राज्यपाल को करवाना चाहिए था । अत: वह गुरूदेव जी के प्रशंसकों में था न कि विरोधियों में । वह नक्षबन्दी सम्प्रदाय के पीर शेख अहमद सरहिन्द से बिल्कुल सहमत नहीं था, इसीलिए 'तुजाकि जहांगीरी' नामक रोजनामचे वाली इबारत जो कि गुरूदेव जी के लिए चार्जशीट रूप में है, उसके दूसरे भाग को उसने क्रियान्वित नहीं किया जिसमें लिखा था कि 'अर्जुनदेव का धन तथा जायदाद जब्त करके हुक्म दिया कि उसके घर घाट तथा बच्चों को मुर्तजाखान के हवाले किया जाये' । वास्तव में उसे बादशाह ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया था । दूसरा वह गुरूदेव जी को किसी भी रूप में अपराधी नहीं मानता था । अत: वह इन दुष्टों के आदेश को पालन करने में आनाकानी करता रहा ।

यहाँ एक बात बहुत ध्यान देने योग्य है कि शेख फ़रीद बुख़ारी तथा मुर्तजा खान दो अलग अलग व्यक्ति हुए हैं अर्थात इन दोनों नामों के अलग अलग व्यक्ति हुए हैं । शेख फ़रीद बुख़ारी बादशाह जहांगीर का सिपहसलार (सेनापति) था जबकि मुर्तजा खान उन दिनों पँजाब प्रान्त का राज्यपाल (सूबेदार) था ।

जैसे कि कुछ इतिहासकारों को भ्रम हुआ है कि शेख फ़रीद बुख़ारी को बादशाह ने तख्लूस देकर नया नाम मुर्तजा खान दिया था । वास्तव में यह कोरी कल्पना मात्र है क्योंकि शेख मुसलमानों में बहुत आदरणीय श्रेणी मानी जाती है जैसे हिन्दुओं में ब्राह्मण । शेख फ़रीद बुख़ारी एक पूरा तथा मानवीय नाम है ठीक इसी प्रकार मुर्तजा खान भी आपने आप में सम्पूर्ण तथा आदरणीय नाम है । फिर क्या आवश्यकता पड़ गई थी कि एक तख्लूस बदले, एक सम्पूर्ण व्यक्तित्व वाला व्यक्ति अपना पूरा नाम ही बदल डाले ।

शेख फ़रीद बुख़ारी

शेख फ़रीद बुख़ारी सम्राट अकबर के शासनकाल से ही एक वरिष्ठ सैनिक अधिकारी था । उनदिनों केन्द्रीय सेना से सीधा उसका सम्बन्ध होने के कारण सलीम (जहाँगीर) ने तख्त की प्राप्ति के लिए उसकी तरफ मित्रता का हाथ बढ़ाया । इसने सलीम को सुझाव दिया केवल सैनिक शक्ति से तख्त प्राप्ति सम्भव नहीं, इसके अतिरिक्त आपको जनता में अपना रसूल बढ़ाना चाहिए जैसे ही आप जनसाधारण में लोकप्रिय होंगे तख्त की प्राप्ति सहज ही हो जायेगी । इस काम को करने के लिए उसने अपने पीर शेख अहमद

सरहिन्द से उसका मेल करवाया । अब दोनों शेखों ने मिलकर सलीम को उनके साथ एक गुप्त संधि करने को कहा – इस संधि के अन्तर्गत शेख अहमद सरहिन्दी अपनी पीरी के रसूख का प्रयोग करके उसे तख्त दिलवाएंगे । बदले में सत्ता प्राप्ति के बाद वह उनके इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए प्रशासनिक सहायता प्रदान करेगा ।

शेखफ़रीद बुख़ारी ने ही खुसरों की बगावत को कुचलकर लाहौर नगर के किले को शत्रु के हाथों जाने से बचाया और खुसरों को मृत्युदंड दिया ।

चन्दूलाल के प्रति किंवदंतियों का उत्तर

1. यह तो सर्वविदित है कि श्री गुरू अर्जुनदेव जी ने चन्दूलाल के यहाँ अन्न-जल ग्रहण नहीं किया अर्थात वह शाही किले में लाये जाने पर भूखे-प्यासे थे । चन्दू लाल की बहू ने गुरूदेव जी द्वारा उनके यहाँ का अन्न जल न ग्रहण करने के कारण गुरूदेव जी पर दबाव बनाने के कारण उनके समक्ष प्रतिज्ञा ले ली थी कि हे गुरूदेव ! जब तक आप भोजन अथवा जल नहीं ग्रहण करेंगे तब तक वह भी मुँह नहीं झुठलायेगी क्योंकि वह आपके सिख की पुत्री है । भले ही वह प्यासी तो प्राण त्याग सकती है परन्तु अपने गुरूदेव जी को बिना अन्न जल छकाएं पहले कैसे अन्न जल सेवन कर सकती है । अतः उस बहू ने भूखी प्यासी अवस्था में प्रतिज्ञा पूर्ण करते हुए प्राण त्याग दिये । इतिहासकारों का मानना है कि इन दिनों लाहौर नगर में भीषण गर्मी का प्रकोप बना हुआ था अर्थात लगभग 45 डिग्री तापमान रहा होगा ।

2. बहू की मूर्छा अवस्था से देहान्त तक चन्दूलाल घर पर ही था। उसकी मृत्यु के पश्चात् उसके यहाँ मातम छा गया । वह बहू की अंत्येष्टि क्रिया में व्यस्त था, इसलिए किले में उसका जल्लादों के साथ होने की बात कोरी झूठी है ।

3. शत्रु पक्ष का एकमात्र लक्ष्य गुरूदेव जी को इस्लाम स्वीकार करवाना था न कि उनकी हत्या करना। यदि वे उनकी हत्या करना चाहते तो काज़ी द्वारा दिये गये फतवे अनुसार वे उन्हें गाय की खाल में मढ़ कर मार सकते थे। अतः वे गुरूदेव को इस्लाम स्वीकार करवाने की प्रतिक्रिया में किसी हिन्दू चन्दूलाल जैसे व्यक्ति की सहायता इस जघन्य कार्य के लिए कैसे ले सकते थे, जो कि स्वयँ गुरूदेव जी से समधी जैसे मधुर सम्बन्ध स्थापित करने के लिए एक लाख रूपये दंड के जमा करवाना चाहता था । ऐसे संदेहपूर्ण व्यक्ति पर वे कैसे विश्वास कर सकते थे ?

4. गाय की खाल में मढ़ कर हत्या करने का आदेश / यासा और सियासत के कानूनों के अनुसार दंड देना जो कि इस्लामी कानून है । गुरूदेव जी को इस्लाम स्वीकार करने के लिए बाध्य करना । क्या ये सब कार्य किसी हिन्दू के हो सकते हैं ?

5. चन्दू लाल वित्त मंत्रालय में लाहौर से दिल्ली खजाना ले जाने वाली कानवाही का एक अधिकारी (इंचार्ज) था ना कि किलेदार, कोतवाल, जेलर अथवा जल्लाद इत्यादि, इसलिए प्रश्न यह उठता है कि उसकी डयूटी किस प्रकार गुरूदेव जी की हत्या

करवाने के लिए लगाई जा सकती है ?

6. पंजाबी इतिहास में ऐसा कहीं पढ़ा सुना नहीं गया कि किसी व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति की हत्या इसलिए कर दी हो कि तुम मेरे समधी क्यों बनना स्वीकार नहीं करते अर्थात यह पवित्र रिश्ते परस्पर प्यार स्नेह पर आधारित होते हैं न कि बल प्रयोग द्वारा स्थापित किये जा सकते हैं ।

7. चन्दू लाल को आदि ग्रन्थ साहब की वाणी के विषय में कोई विशेष ज्ञान न था क्योंकि ग्रन्थ साहब की सम्पादना को केवल डेढ़ वर्ष ही हुआ था, उस समय तक ग्रन्थ साहब की मूल प्रति ही थी उसकी नकल अथवा अन्य उतारे अभी नहीं हुए थे । उसकी ग्रन्थ साहब की वाणी के प्रति ईर्ष्या का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि वह स्वयं हिन्दू था । अतः वह किसी प्रकार बादशाह से ग्रंथ साहब के विरोध में चुगली कैसे कर सकता है ?

8. कुछ तथाकथित प्रचारक चन्दू की हवेली को ही गुरूदेव जी की कत्ल गृह के रूप में अपने प्रसंगों और चलचित्रों (फिल्मों) में दिखाते हैं जो कि कोरा झूठ है क्योंकि चन्दू के अभिमान भरे शब्दों को गुरू घर का घोर अपमान जानकर उसका सामाजिक बहिष्कार हो चुका था तथा उसकी पुत्री का नाता कोई लेने को तैयार न था । वह इसलिए चिन्तित रहने लगा था अतः वह गुरूदेव जी से निवेदन कर रहा था कि उसकी गलती को क्षमा कर दें । ऐसे में वह बलपूर्वक रिश्ता स्वीकार करवाने तथा यातनाएं देने के लिए कैसे सोच सकता था ?

इतिहास गवाह है कि जब लाहौर के शाही किले में गुरूदेव जी से दुर्व्यवहार किया जा रहा था तब सांई मीयां मीर जी के नेतृत्त्व में वहाँ के समस्त नगरवासी जिनमें सभी वर्गों के लोग थे । एक विशाल समूह के रूप में किले के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे । इतनी बड़ी सँख्या में स्थानीय जनता को देखकर शाही किले का किलेदार भयभीत हो गया । उसे जनता के नारेबाजी से बगावत की बू दिखाई दे रही थी । अतः उसने विवश होकर जनता के प्रतिनिधि सांई मीयां मीर जी को गुरूदेव जी से मिलने की अनुमति प्रदान कर दी। उसका विचार था कि सांई जी स्वयं भी इस्लाम का प्रचार करते हैं । यदि हम गुरूदेव (श्री अर्जुन देव जी) पर इस्लाम स्वीकार करने का दबाव डाल रहे हैं तो इसमें कोई अनर्थ नहीं कर रहे । अब आप कल्पना कीजिए कि यदि चन्दू गुरूदेव जी को अपनी हवेली में यातनाएं देता तो क्या स्थानीय जनता उसे बख्श देती ? चन्दू अभिमानी अवश्य था परन्तु अभिमानी व्यक्ति स्वाभिमानी भी होता है, वह यह कैसे कह सकता था कि यदि आप मेरी बेटी को अपनी पुत्रवध
के रूप में नहीं स्वीकार करते तो मैं बल प्रयेग द्वारा आपको उसके लिए बाध्य करूँगा।

राजकुमार सलीम उर्फ सम्राट जहांगीर का व्यक्तित्व

सम्राट हिमायूं, शेरशाह सूरी से पराजित होकर जब राजपूताने के क्षेत्र से होता हुआ ईरान में शरण लेने के लिए जा रहा था तब उसे राजपूतों ने घेर लिया परन्तु उसने राजपूतों

के सम्मुख घुटने टेक कर उन से शरण मांगी, जो उसे मिल गई । अपना परिवार वह वहीं छोड़कर ईरान अपने ससुराल से सहायता प्राप्त करने चला गया । इस बीच हिमायूं की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया जो जलालूद्दीन अकबर के नाम से प्रसिद्ध हुआ । अकबर का नौ वर्ष तक राजपूताने में हिन्दू संस्कारों में पालन पोषण हुआ । समय व्यतीत होने पर जलालूद्दीन अकबर का विवाह इसी राजघराने की राजकुमारी जोद्धाबाई से हुआ। इसी महारानी की कोख से राजकुमार सलीम उत्पन्न हुआ जो अकबर के पश्चात् उसके उत्तराधिकारी के रूप में सम्राट जहाँगीर नाम धारण कर सिहांसन पर बैठा ।

राजकुमार सलीम (जहाँगीर) जब 12 – 13 वर्ष का हुआ तो उसे शराब पीने की बुरी लत पड़ गई थी । उसे बहुत समझाने बुझाने पर भी जब वह इस आदत से छुटकारा न पा सका तो उसके पिता बादशाह अकबर ने उसे उसके ननिहाल राजपूताने भेज दिया । जहां शराब नाम की वस्तु होती ही नहीं थी । जब उसे वापस बुलाया गया तो उसकी आयु लगभग 18 – 19 वर्ष की थी । इस बीच उसका लालन-पालन हिन्दू संस्कारों में किया गया। किशोर अवस्था में मिले हुए संस्कार व्यक्ति के चरित्र निर्माण की भूमिका में मुख्य स्थान रखते हैं तथा जीवन भर उसके स्वभाव के अंग के रूप में दृष्टिगोचर होते रहते हैं ।

अकबर की पृष्ठभूमि के कारण वह एक बहुत उदारवादी धर्मनिर्पेक्ष व्यक्तित्व वाला सम्राट था। वह हिन्दू-मुस्लिम मतभेदों से तंग होने के कारण एक नये धर्म की उत्पत्ति की कल्पना कर रहा था, जिसे उसने प्रचार की असफल चेष्टा भी की । जिस का उसने नाम रखा था 'दीने इलाही' इस धर्म के प्रमुख सिद्धांतों में हिन्दू मुस्लिम मतभेदों को समाप्त कर मिलजुल कर रहने की प्रेरणा थी ।

अकबर जिस प्रकार के नये धर्म 'दीने इलाही' की रूपरेखा चाहता था, उसका विकल्प स्वरूप उसको गोइंदवाल नगर में श्री गुरू अमरदास के पास दृष्टिगोचर हुआ। तब वह गुरूदेव के आध्यात्मिकवाद से बहुत प्रभावित हुआ । उसने गुरूदेव जी से कहा – मुझे अपना स्वप्न आपके यहां साकार रूप में दिखाई दे रहा है । अत: मैं भी इस कार्य में आपकी सहायता करना चाहता हूँ । अत: आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करते हुए, लंगर प्रथा को बढ़ावा देने के लिए कुछ भूमि जागीर के रूप में प्रदान करें परन्तु गुरूदेव जी ने यह कह कर इन्कार कर दिया कि यह कार्य राजकीय कोष से नहीं बल्कि संगतों द्वारा दिये गये दशमांश से सदैव चलते ही रहते हैं ।

उपरोक्त घटनाक्रम कोई छोटा नहीं था, जिसका ज्ञान बादशाह के ज्येष्ठ पुत्र को न हो । सर्वविदित है कि बालक के कोमल मन पर उसके माता पिता के आचरण की गहरी छाप होती है जो उसे पुरखों के संस्कारों से मिलती है । जिससे बालक का चरित्र निर्माण होता है । अब विचारने वाली बात यह है कि जहांगीर बादशाह की माता तथा पूरा ननिहाल कट्टर हिन्दू संस्कारों वाले थे । राजदरबार में भी बहुत से हिन्दू दरबारी थे, जैसे – बीरबल तानसेन, टोडरमल, मानसिंह इत्यादि । जब राजदरबार के वातावरण में संकीर्णता न थी वहां सद्भावना और उदारवादी माहौल था । इस प्रकार के वातावरण में निरूपित बालक का

मन किस प्रकार कट्टरवाद के विष से भरा हुआ हो सकता है ? बात यहीं तक सीमित नहीं, जहांगीर ने तीन चार विवाह हिन्दू राजकुमारियों से किये थे । मनुष्य जीवन साथी से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता । शायद यही कारणा था कि बादशाह जहांगीर के बेटे खुसरों तथा शाहजहां भी बहुत उदारवादी माने गये हैं ।

1. इतिहास साक्षी है कि बादशाह जहांगीर कट्टर मुस्लिम न था । शराब शराह विरोधी वस्तु है जबकि जहांगीर को शराब की बुरी लत थी ।

2. इतिहासकार जहांगीर को न्यायकारी बादशाह मानते हैं । शायद यही कारण है कि जब उसको एहसास हुआ कि मुझ से भयंकर भूल हुई है, चापलूसों ने मुझे अपनी जालसाजी से भ्रमित किया है और मुझ से श्री गुरू अर्जुनदेव जी के विरूद्ध गलत आदेश लाख रूपये दंड के रूप में करवा लिया था। तब उसने समय मिलते ही गुरूदेव जी पत्नी (माता) गंगा जी से अनजाने में हुई भूल के लिए क्षमायाचना की थी ।

3. जब उसे ज्ञात हुआ कि चन्दूलाल श्री गुरू हरिगोबिन्द जी की ग्वालियर के किले में किलेदार द्वारा हत्या करवाना चाहता था तो उसने चन्दूलाल को पकड़कर गुरूदेव को सौंप दिया कि आपके विरूद्ध इसने षड्यन्त्र रचा था, अतः यह आपका अपराधी है, इसे आप इस्लामी कानून के अनुसार दण्डित कर सकते हैं ।

4. इतिहास साक्षी है कि बादशाह जहांगीर ने अपने शासनकाल में किसी भी हिन्दू को उसके हिन्दू होने के कारण दण्डित नहीं किया ।

5. 'तुज़ाकि जहांगीरी' नामक पुस्तक बादशाह की स्वजीवनी नहीं है, वह एक रोजनामचा है । यदि वह उस द्वारा स्वयं का जीवन वृतान्त होता तो वह उसमें गुरूदेव जी के साथ मधुर सम्बन्धों के विषय में भी अवश्य ही लिखता, जैसे – उनके द्वारा ग्वालियर के किले में उसके लिए इबादत करना, गरीब सिक्ख द्वार सच्चे पातशाह की खोज, चन्दू को गुरूदेव जी को सौंपना, गुरूदेव जी के साथ आगरा से अमृतसर तक की यात्रा तथा माता गंगा जी से क्षमायाचना करना इत्यादि प्रमुख घटनाक्रम तो अवश्य ही महत्वपूर्ण है, जिनका उसमें संकेत मात्र तो होना ही चाहिए, जो कि नहीं है । अतः वह रोजनामचा ही है ।

6. उन दिनों सम्राट (बादशाह) तानाशाह हुआ करते थे उनको जनता के समक्ष अपनी त्रुटियों (गलतियों) के लिए उत्तरदायी हाने की कोई विवशता नहीं होती थी । अतः वह छल-कपट क्यों करेगा । जब वह अपने पुत्र को मृत्यु दण्ड दे सकता है तो गुरदेव के लिए भी मृत्यु की घोषण कर सकता था । परन्तु उसने गुरदेव को केवल एक लाख दण्ड ही सुनाया था। इसलिए 'तुज़ाकि जहांगीरी' नामक राज़ नामचे की ईबारत झूठी है ।

शेख अहमद सरहिंदी का व्यक्तित्व

शेख अहमद सरहिंदी नक्षबन्दी सम्प्रदाय का प्रमुख था । वह बहुत संकीर्ण विचारधारा वाला (कट्टर फिरकाप्रस्त) मुस्लिम प्रचारक पीर था । वह इस्लाम के प्रचार प्रसार के लिए प्रशासनिक बल के प्रयोग को उचित मानता था । वह इस कार्य के लिए तत्कालीन नेताओं में अपना रसूख बनाना चाहता था परन्तु उसे अकबर के उदारवादी होने के कारण सफलता नहीं मिली । विडम्बना यह कि सत्ता प्राप्ति के चक्र में राजकुमार सलीम ने अपने सेनापति के सहयोग से इस से सहायता मांगी । शुभ अवसर पाकर शेख अहमद ने सत्ता प्राप्ति के बाद प्रशासन के द्वारा इस्लाम के प्रचार का वायदा लेकर सिहांसन सलीम को दिलवाया । अत: इसने केवल पीर फकीर बनकर इस्लाम के प्रचार का संकल्प त्याग दिया ।

अब इस का लक्ष्य समस्त भारत में एकछत्र इस्लाम का विस्तार करना था । उसे अपने इस स्वप्न को पूर्ण करने में श्री गुरू नानक देव जी द्वारा चलाई गई सिक्खी लहर बहुत बड़ी रूकावट मालूम होने लगी क्योंकि उनके सिद्धांतों को श्री गुरू अर्जुन देव जी स्थानीय भाषा में सहज–सरल वाणी की रचना कर प्रचार कर रहे थे । अत: वह मन ही मन श्री गुरू अर्जुन देव जी से ईर्ष्या करने लगा और सोचने लगा कि गुरू जी को अपने रास्ते से कैसे हटाऊँ । देवनेत उसको राजकुमार खुसरों की बगावत के कारण एक षड्यन्त्र रचने का अवसर मिल ही गया । उसने गुरूदेव जी पर निराधार आरोप लगाये । उसने अपनी इस घिनौनी योजना अनुसार बादशाह जहांगीर को गुमराह किया। बादशाह के साथ पहले से हो चुकी गुप्त संधि के आधार पर गुरूदेव पर एक लाख रूपये दण्ड का आदेश करवाया। दण्ड न चुकाने पर विकल्प में गुरूदेव जी को कारावास दिया जा सकता था परन्तु इसी ने दण्ड न भरने पर गुरूदेव के समक्ष दो शर्ते रखीं – मृत्यु अथवा इस्लाम में से एक स्वीकार करो । इस षड्यन्त्र के सरगना रूप में प्रकट होने के भय से बचने के लिए उसने ही बादशाह के नाम का दुरूपयोग किया और उसकी तरफ से झूठी इबादत 'तुजाकि – जहांगीरी' नामकरोजनामचे में लिखवाई, जिससे गुरूदेव की हत्या का जिम्मेदार बादशाह हो और स्वयं को बरी दर्शाने की असफल चेष्टा की ।

अकबर की तरह उसका पोता खुसरों भी बहुत उदारवादी था । यदि अकबर के सिहांसन पर कभी भी खुसरों को बैठने का अवसर प्राप्त हो जाता तो शेख अहमद उसे अपने लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा बाधक समझता था। अत: उसने समय मिलते ही उसका वध करवा दिया । हुआ यों कि बादशाह जहांगीर अपने लड़के खुसरों की बगावत कुचलने के पश्चात् पुत्र मोह में विचार कर रहा था कि मैंने भी अपने पिता के विरूद्ध बगावत की थी । यदि वह उस समय मुझे बगावत के आरोप में मृत्युदंड दे देता तो आज मेरे स्थान पर खुसरों ही बादशाह होता परन्तु मेरे पिता जी ने मुझे क्षमा दान दे दिया था । अब मुझे क्या प्रतिक्रिया करनी चाहिए । अत: वह दुविधा के कारण शान्त था । इन्हीं लोगों ने बादशाह की खामोशी को मृत्युदण्ड के अर्थ देकर खुसरों को तुरन्त मौत के घाट उतार दिया । इनका विचार था कि बादशाह शराबी है । उसके जीवन का क्या भरोसा ? यदि वह न रहा तो खुसरों

के बादशाह बनने की सम्भावनाएं हैं । अतः इसे तुरन्त समाप्त कर दो । इसी व्यक्ति ने कोतवाल द्वारा चन्दूलाल को झांसा देकर मूर्ख बनाया। गुरूदेव जी की हत्याकांड को उसकी घरेलू शत्रुता से जोड़ कर जनसाधारण को गुमराह किया।

कुछ शंकाओं पर विचार प्रवाह

मानव समाज में प्रत्येक व्यक्ति के कुछ एक मित्र अथवा शत्रु होते हैं । भले ही वह व्यक्ति महापुरूष अथवा पराक्रमी आत्मा ही क्यों न हो। भले मनुष्य के शत्रु उससे ईर्ष्यावश उत्पन्न हो जाते हैं । उनका लक्ष्य महापुरूष को विचलित करके भटकाना अथवा बदनाम करना होता है । प्रकृति के इन नियमों के अन्तर्गत श्री गुरू अर्जुन देव जी के भी कुछ शत्रु उनके महान कार्यो के कारण थे जो उनको समय समय पर सत्य के मार्ग से भटकाना चाहते थे परन्तु दृढ़ विश्वासी गुरूदेव जी प्रत्येक समय अडिग रहे। भले ही उन्हें भयंकर विपत्तियों का सामना क्यों न करना पड़ा हो । मानव समाज में देखा गया है कि प्रत्येक शत्रु जानी दुश्मन नहीं होता । बस वह केवल थोड़ी बहुत हानि पहुँचाना चाहता है न कि हत्या करना । यदि किसी व्यक्ति विशेष की हत्या होती है तो शक बहुत से शत्रुओं पर किया जा सकता है परन्तु वास्तविक हत्यारा तो एक ही होता है । जिसने षड्यन्त्र को रचा अथवा हत्या को व्यावहारिक रूप दिया । अन्य शत्रुओं को आँख ओझल कर दिया जाता है क्योंकि उनका हत्याकांड से कोई सम्बन्ध नहीं होता ।

वर्तमान युग में किसी हत्याकाण्ड की न्यायिक जाँच करवाने के लिए यदि कोई जाँच आयोग बैठाया जाता है तो वह भी षड्यन्त्रकारी तथा हत्या करने वाला अपराधियों तक ही सीमित रहते हैं । मखतूल के बाकी के शत्रुओं को बिल्कुल भी नहीं उलझाया जाता क्योंकि ऐसा करने से केस (हत्याकांड) कमजोर तथा शक्की हो जाता है । जिससे लाभ उठाते हुए वास्तविक हत्यारे शक को आधार बनाकर बच निकलने में सफल हो जाते हैं । ठीक इसी प्रकार श्री गुरू अर्जुन देव जी के हत्याकाण्ड को आधुनिक समय में जाँच के लिए भेजा जाये तो तथाकथित विद्ववानों द्वारा हत्यारों की सूची बहुत लम्ब बनाई हुई है जिनमें पृथ्वीचन्द, बीरबल (महेशदास) भक्त कान्ह जी, पीतू ली, चन्दू लाल, बादशाह जहांगीर, मुर्तजाखान, शेखफ़रीद बुखारी तथा शेख अहमद सरहिन्द के नाम प्रमुख हैं परन्तु जाँच आयोग केवल उन्हीं अपराधियों को अपने दायरे में लेगा जो षड्यन्त्रकारी थे अथवा प्रत्यक्ष हत्यारे। बाकी के शत्रुओं को वह अपनी जाँच के दायरे में नहीं लेंगे क्योंकि उन में से अधिकांश हत्याकाण्ड के समय कालवास हो चुके थे, जैसे पृथ्वीचन्द, बीरबल, भक्त कान्हा इत्यादि । वास्तव में हमारे तथाकथित विद्ववानों को वर्तमान न्यायिक प्रतिक्रिया के बारे में ज्ञान नहीं है । उन्हें नहीं मालूम कि वे भोलेपन में शक्की शत्रुओं की सूची को विस्तृत स्वरूप देकर वास्तविक हत्यारे को क्षमा दान दे रहे हैं। यदि हम शहीदी के कारण तथा शहीदी की परिभाषा को जाने बिना इन लोगों के नाम गुरूदेव जी की शहादत के साथ जोड़ेंगे तो 'शहीदी' शहीदी की परिभाषा पर खड़ी नहीं उतरती बल्कि गृहक्लेश अथवा

परस्पर ईर्ष्या – द्वेष इत्यादि का परिणाम दिखाई देता है, जबकि गुरूदेव ने अपने प्राणों की आहुति किसी आदर्श के कारण दी थी । यदि हमने बिना सोचे समझे अफ्वाहों के अनुसार इतिहास सुनाया तो गुरूदेव जी की शहीदी को लोग आत्महत्या समझने लग जायेंगे, जैसे कि कुछ तथाकथित विद्वान अपने प्रसंगों में सुनाते हैं कि गुरूदेव जी ने इच्छा प्रकट की थी कि 'मैं रावी नदी में स्नान करना चाहता हूँ' इस प्रकार वह स्नान करने गये परन्तु नदी से वापिस नहीं लौटे ?

स्नान करने की इच्छा एक स्वस्थ मनुष्य ही कर सकता है । इसके विपरीत वह मनुष्य जिसको गर्म लोह पर बैठाया गया हो, सिर पर गर्म रेत डाली गई हो और फिर देग में उबाला गया हो, किस प्रकार जीवित रह सकता है ? इस गाथा पर पाठकगण स्वयं ही विचार कर सकते हैं।

शेख अहमद सरहिंदी का पत्र जो उसने गुरूदेव जी की शहादत के पश्चात् अपने शिष्य को हर्षोल्लास में आकर लिखा था ।

गोइंदवाल नगर के इस भ्रष्ट काफिर (श्री गुरू अर्जुनदेव जी) की मृत्यु (शहादत) हमारे लिए बहुत बड़ी प्राप्ति तथा विजय है । इससे अकृत्घन (नीच) हिन्दुओं को भी एक हीनता भरी पराजय का सामना करना पड़ा है । भले ही उसकी हत्या किसी भी प्रकार की गई । बहाना कोई भी रहा हो, परन्तु इससे समस्त काफिरों (हिन्दुओं) को भी हानि हुई है । इसके विपरीत समस्त मुसलमानों के लिए यह घटना बहुत लाभ और उन्नति की रही है । इस काफिर की हत्या से पहले मुझे एक बहुत अच्छा स्वप्न भी आया था, जिसमें मैंने देखा था कि बादशाह जहाँगीर ने कुफ़र का सिर कुचल दिया है । इसमें कोई शक ही नहीं कि यह काफिर (गुरूजी) अधर्मियों का नेतृत्व करने वाला मुखिया था ।

लेखक :– जसबीर सिंह